JAINA DARSANKA ADIKAL

L. D. SERIES 76
GENERAL EDITORS
DALSUKH MALVANIA
NAGIN J. SHAH

DALSUKH MALVANIA



L. D. INSTITUTE OF INDOLOGY AHMEDABAD-9

जैन दर्शन का आदिकाल

ला. द. ग्रन्थमाला ७६

प्रधान संपादक दलसुख मालवणिया नगीन जी. शाह लेखक

दलसुख मालवणिया



प्रकाशक लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर अहमदाबाद ९ Printed by

Mahanth Tribhuvandas Shastri

Shree Ramanand Printing Press Kankaria Road Ahmedabad-380022.

Published by

Nagin J. Shah
Director
L. D. Institute of Indology
Ahmedabad-380009.

FIRST EDITION

April 1980

PRICE RUPEES 8

प्रास्ताविक

जैन दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और विचारक पंडित श्री दलसुखभाई मालविणयाजीने शिवाजी युनिवर्सिटी, कोल्हापुर में र्डा. ए. एन. उपाध्ये की पुण्य स्मृति में दो व्याख्यान सन् १९७७ अक्तूबर में दिये थे इन्हें प्रकाशित करते बड़ा आनन्द होता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से दार्शनिक चिन्तन के विकास को यथातथ समझने का भरसक प्रयत्न करने वाले जो इनेगिने विद्वान हैं उन में मालविणयाजी का प्रमुख स्थान है। जैन दर्शन की प्रमाण और प्रमेय सम्बन्धी समस्याओं के चिन्तन के आगमों में जितने स्तर दिखाई देते हैं उन सबको स्पष्ट करते हुए उन्होंने इन दो व्याख्यानों में अपने दीर्घकालीन अध्ययन का सार रख दिया है। इन दो व्याख्यान 'गागर में सागर' जैसे हैं और जैन विद्वानों के लिए विचार की नई दिशा दिखलाने वाले हैं। आशा हैं 'जैन दर्शनका आदिकाल ' नाम से प्रकाशित किये जा रहे ये दो व्याख्यान जैन दर्शन में खिच रखनेवाले सब के लिए रसप्रद और उपयोगी सिद्ध होंगे।

ला. द. विद्यामंदिर अहमदाबाद-३८०००९ १ दिसम्बर १९७९ नगीन जी. शाह अध्यक्ष.

छेखककी ओरसै

शिवाची यूनिवर्सिटी, कोल्हापुर में मैने डो. ए. एन्. उपाध्येकी स्मृतिमें दा व्याख्यान ता. ७ और ८ अक्तूबर, १९७७ में दिये थे । उन्हीं दो व्याख्यानों को यत्र तत्र संशोधन-वृद्धि करके प्रस्तुत 'जैनदर्शन का आदिकाल' प्रकाशित किया जा रहा है। इन व्याख्यानों के निमित्त कुछ नया सोचने का मुजे अवसर मिला एतदर्थ मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी का आभारी हूँ।

ई. १९४९ में न्यायावतारवार्तिक वृत्ति (सिंघी जैनग्रन्थमाला) की प्रस्तावना में मैंने जैन आगमों से जैनदर्शनकी रूपरेखा देनेका प्रयत्न किया था । उसी प्रस्तावनाको 'आगमयुगका जैनदर्शन' इस नामसे सन्मित ज्ञानपीठ, आग्राने ई. १९६६ में प्रकाशित किया था । किन्तु उसमें जैन दर्शनका प्रारंभिकरूप कैसा था इसकी चर्चा मैंने नहीं की थी ।

जैनदर्शनके विकास को समझने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसके प्रारंभिकरूप को समझा जाय। अतएव प्रस्तुत व्याख्यानों में मैंने इसी विषयकी विशेष चर्चा करना उचित समझा है। इस चर्चा के बाद भी उक्त प्रस्तावना और प्रस्तुत जैन दर्शन के प्रारंभिकरूप के बीच एक और कड़ी की आवश्यकता है जिसमें विस्तारसे आगम के द्वितीयस्तर गत जीवविचार आदि विवरण दिया जाय। ऐसा होने पर ही आगम युगका जैन दर्शन अपने यथार्थ रूपमें विद्वानों के समक्ष उपस्थित होगा।

उक्त प्रस्तावनामें मैंने प्रमाण और प्रमेय की चर्चा को तार्किकों ने की हैं उसीका पूर्वरूप आगमों में कैसा था-यह दिखाने का प्रयस्न किया था। किन्तु वह आगम के तीसरे स्तरके आधार से था। प्रस्तुत में आगम के प्राचीनतम प्रथम स्तर के आधार से जैनदर्शनका प्रारंभिक रूप कैसा था यह दिखानेका प्रयस्त है। पता नहीं मेरे इस प्रयस्त को विद्वान् किस रूपमें छेंगे। किन्तु मैंने इसमें मुजे जो प्रतीत हुआ उसे देने का प्रयस्त किया है। यह भी संपूर्णरूपमें उपस्थित कर सका हूँ यह मैं नहीं कह सकता। किन्तु यह भी मात्र रूपरेखा है। इसमें और भी कई बातें जोडी जा सकती हैं। किन्तु वह तो कोई अन्य तटस्थ विद्वान् करे तब होगा। मुजसे जो बन पड़ा मैंने विद्वानों के समक्ष विचारणार्थ रखा है। आशा करता हूं कि इस दिशामें विद्वानों का ध्यान जायगा तो मैं अपना अम सफल समझ्ँगा। डॉ. रमणीकभाई शाहने प्रुफ देखने में सहायता की है अतएव उनका आभारी हूँ।

ला. द० विद्यामन्दिर अहमदाबाद-९. ता. ७-५-१९७९

दलसुख मालवणिया

उपयुक्त ग्रन्थों की सूची

आचा० आचारांगसूत्र, महावीर जैन विद्यालय, बम्बई, १९७७ आचा० चू० आचारांगचूर्णि, ऋषभदास केसरीमल, रतलाम, १९४१ आचा० नि० आचारांग निर्युक्ति, शीलंकटोकान्तर्गत, आगमोदय समिति १९१६ आगमयुगका जैनदर्शन, सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा १९६६ उत्त० उत्तराध्यपन, महावीर जैन विद्यालय, बम्बई, १९७७ उपनिषद् वाक्य महाकोष, गुजराती प्रेस, बम्बई, १९४० जम्बूदीवपण्णत्ति, सुत्तागमे, १९५४ जयघवळा, कसायपाह्डटीका, मथुरा, १९४४ जैन साहित्य का बृहद् इतिहास, पार्श्वनाथ विद्याश्रमः वाराणसी, १९६४ जै.सा.इ. जेन साहित्य का इतिहास पूर्वपीठिका, पं.कैलाशचन्द,वर्णी अन्थमाला, बनारस १९६३ तत्वार्थं तत्वार्थसूत्र, पं. सुखळाळजी, पार्श्वनाथ विद्याश्रम, वाराणसी, १९७६ तत्वार्थभाष्य —सभाष्य तत्त्वार्थाधिगमसूत्राणि, मोतीलाळ ळाधाजी, पूना, वीर सं. २४५३ तित्थोगाली, श्वेताम्बर जैन संघ, जालोर, १९७५ दीघ० दीघनिकाय, सं० कश्यप, १९५८ धवला॰, षट्खंडागम धवलाटीका, जैन सा. फंड, अमरावती १९३९ **नंदी,** महावीर **जै**न विद्यालय, १९६८ नंदीचूर्णि, प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी, १९६६ न्याया० न्यायावतारवार्तिकवृत्ति, सिंघी ग्रन्थमाला, १९४९ प्रज्ञापना, पन्नवणा, महावीर जैन विचालय, १९६९ प्रवचनसार, श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, १९६४ भगवती, वियाहपण्णत्ति, महावीर जैन विद्यालय, बम्बई, १९७४ भगवई, सुत्तागमे, १९५४ मूलाचार दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, १९२१ वीरनि० वीरनिर्वाण संवत् और जैनकालगणना, मुनि श्री कल्याणविजयजी, १९३१ ठय० व्यवहारसूत्र, सुत्तागमे, १९५४ समवाय, मुत्तागमे, १९५३ संबोधि, ला० द० विद्यामिन्दर प्रकाशित त्रैमासिक संप्रसाद, चतुभुंज पूजारा सन्मान समिति, अहमदाबाद, १९७७ सूत्रकु॰, सूत्रकृतांग, महावीर जैन विद्यालय १९७८ सूत्रकु० चूर्णि, ऋषभदास केसरीमल, रतलाम, १९४१ स्थानांग-समवायांग, गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद १९५५

जैनागम े

डो. उपाध्ये की स्मृतिमें यह व्याख्यानका आयोजन किया गया है और डो. उपाध्येने आने जीवन में संस्कृत विषयमें संशोधन किया ही है। किन्तु उनका सुख्य संशोधन प्राकृत-अपभ्रंशको लेकर हुआ है। पर्खंडागमके सोलह भागों के संपादन में उनका पूरा सहयोग डो. हीरालालजी को मिला था और षर्खंडागम दिगंगर संपदायकी दृष्टिसे आगमस्थानीय है और जैनों की दृष्टि से आगम हो समग्र जैन साहित्यका—जो प्राकृत संस्कृत-अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं में लिखा गया है—स्रोत है। अतएव मैंने 'जैनागम' इस विषयमें प्रथम व्याख्यान देनेका सोचा। और आज आप सबके समक्ष उसी विषयमें अपने विवार रखने जा रहा हूँ। यह अवसर देने के लिए में शिवाजी युनिवर्सिटी के कुलपित श्रीपाटिल का आभारी हूँ।

जैनागम और वेद

वेदकी सुरक्षा शब्दतः की गई हैं । अर्थकी परंपरा प्रायः छप्त हो गई थी । जैनागम के विषयमें जानना जरूरी है कि परंपराके अनुसार अर्थका उपदेश अहून करते हैं और उस को शब्दमें बद्ध करते हैं उनके प्रमुख गणधर । अर्थात् जैन परंगराके अनुसार प्रधानरूपसे आगम तो तीर्थकर का उपदेश है किन्तु हमें जो प्राप्त है वह तदनुसारी शब्दबद्ध आगम है । अर्थका ही महत्त्व होने से शब्द पर विशेष ध्यान दिया नहीं जा सकता था। अतएव शब्द की एकरूपता हो नहीं सकती है । तात्पर्य में मेद नहीं होना चाहिए – शब्द का रूप जो भी हो । अतएव परिणाम यह हुआ कि जिस भाषामें भगवान द्वारा उपदिष्ट अर्थ शब्दबद्ध किया गया वह भाषा प्राकृत होने से, लोकभाषा होने से वैदिक भाषाकी तरह उसका एकरूप सतत सुरिश्वत नहीं रह सकता था। अतएव परंपरा के अनुसार भगवान महावीरका उपदेश अर्धनागधी भाषामें होता था ऐसा मान कर भी श्वेताम्बर जैनों के आगम अर्धमागधी में सुरिश्वत न रहकर महाराष्ट्रीपाकृतप्रधान हो गये हैं । और प्राकृतभाषा की प्रकृतिके अनुसार शब्दों के रूपों में भी संस्कृत के समान एकरूपता देखी नहीं जाती । दिगंबरों के मान्य सिद्धान्त भी अर्थपरंपरा या तात्पर्यपरंपरा एक ही थी यह भी निश्चितरूपसे कहा जा सकता है । बादके कालमें सांप्रदायिक रूप दिया जाने लगा तब अर्थपरंपरामें भी भेद दिश्वत होने लगा ।

१ डो. आदिनाथ नैमिनाथ उपाध्ये की स्मृतिमें शिवाजी युनिवर्सिटी में ता॰ ৩-१০-৩৩ को दिया गया प्रथम व्याख्यान ।

२ आव. नि. १९२; आगमयुगका जैतदर्शन, पृ. ७ । मुनि श्रीजम्बूविजयजी की सूत्रकृतांग की प्रस्तावना पृ० २८ से 'वाचना' प्रकरण देखें ।

३ समवाय-३४, भगवई में उल्लेख है कि देवों की भाषा अर्धमागधी है ५.४.२४ ।

४ देखें, घवलाटीका भा० १, सू० ९३, पृ० ३३२ । घवला भा० ३, प्रस्तावना पृ० २८ । 'संयत' पदको लेकर जो विवाद हुआ वह सुप्रसिद्ध हैं ।

आगमों की सुरक्षामें एक दूसरी भी बाधा थी। ब्राह्मणोंमें वेद की सुरक्षा पितापुत्र की पर परामें होती थी और जैनों में गुरुशिष्य पर परामें । यह आवश्यक नहीं कि पिताको जैसा योग्य पुत्र मिलता है वैसा ही योग्य शिष्य गुरुको मिले । ऐसी स्थित में आगमकी सुरक्षा किटन थी। आगमकी सुरक्षा श्रमणों के अधीन थी और श्रमणों में प्रायः विद्याबहण की योग्य आयुवाले शिष्य श्रमणाचार्य को मिले यह संभव नहीं होता था। पिता अपने पुत्र को बाल्यकालसे वेद पढाता था किन्तु श्रमणोंमें यह व्यवस्था संभव नहीं थी। यह भी कारण है कि आगमों की शब्दपर परा और अर्थार परा भी खंडितरूपमें हो प्राप्त होती है। फिर भी जो कुछ सुरक्षित रह सका है उससे हम भगवान महावीरके मौलिक उपदेश को आंशिकरूपमें हो सही प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत व्याख्यान में उन मौलिक उपदेश को ही ध्यान में रख कर मैंने जैनागमके विषयमें चर्चा करना चाहा है।

वेद और जैनागमके प्रतिपाद्य विषयको देखा जाय तो कहना होगा कि दोनों में अंतर अवस्य है किन्तु वह भारतीय समग्र धार्मिक परंपरा का उत्तरोत्तर जो विकास हुआ है उसीके कारण है। भारतीय धार्मिक परंपरा उत्तरोत्तर जो नया नया रूप लेती है उसी शृङ्खलामें एक कड़ी यह जैनागम भी है। उसे वैदिक धारासे सर्वथा प्रथक् करके नहीं देखा जा सकता, उसे समग्रह्यसे भारतीय परंपरा में जो विकास हुआ है उसी परिप्रेक्ष्य में ही देखना होगा।

ब्राह्मण और श्रमण परंपरा में विरोध की चात कही जाती है किन्तु दोनों का जो विकास हम देखते हैं वह दोनों के पारस्परिक घातप्रत्याचात का हो फल है—ऐमा मानना आवश्यक है। अतएव दोनों का विकास स्वतन्त्र है—ऐसा नहीं किन्तु अन्योन्याश्रित है—पही मानना उचित है और ऐसा मानने पर यह भी मानना पड़ता है कि गंगा—जमुनाके संगम के बाद जैसे दोनों नदीयाँ एकरूप हो जाती हैं वैसे ही भारतीय धार्मिक परंपरा में भी दोनों परंपराएँ एकरूप हो जाती हैं और हमारे समक्ष हिन्दुधर्म के रूप में भारतीय धर्म परंपरा आती है। जब हम हिन्दुधर्म ऐसा नाम देते हैं तब ब्राह्मण और श्रमण का भेद गौण होकर दोनों का ऐक्य सिद्ध होता है। यही कारण है कि बाह्माचारकी दृष्टि से एक ब्राह्मणधर्मिकों किसी जैनधर्मी से अलग करना कठिन हो जाता है। बैदिकों—ब्राह्मणों में नाना प्रकार के पूजाप्रतिष्टान और बाह्माचार को लेकर नानाप्रकारके भेद होने पर भी सभी वेद को अपना धर्मग्रन्थ मानकर एकरूपता सिद्ध करते हैं वेसे ही जैनोंने भी अपने आगमको वेद संज्ञा देकर उस एकता की पृष्टि की है। इतनाही नहीं तत्तरकाल में प्रचलित विद्याओं के भी अपने आगमों में समाविष्ट करनेका जो प्रयत्न हुआ है वह भी इस की ओर संकेत करता है कि भारतीयपंरपरा के विकास की एक कड़ीरूपमें ही हम जैनविद्याको देख सकते हैं सर्वथा स्वतं त्ररूपमें नहीं।

वेद से लेकर ब्राह्मण ग्रन्थों में जो भारतीयधर्म का रूर हमें मिलता है वह आध्यात्मिक नहीं किन्तु मौतिकवादी है, परिग्रहप्रधान है। उपनिषद में आकर अन्तर्निरीक्षण ग्रुरू हुआ है यह साष्ट्र देखा जा सकता है। अर्थात् ही बाह्मदृष्टि को छोड़ कर अब अन्तर्मुख होकर चिंतन ग्रुरू हुआ। यही कारण है कि उपनिषदोंमें यज्ञीय कर्मकांड का निराकरण करके आत्म-

१. आचा. १०७; "दुवालसंगं वा प्रवचनं वा वेदो तं जे वेदयति स वेदवी" आचा. चू. पृ. १८५; विन्टरिनत्झः हिस्ट्री ओफ इंडियन लिटरेनर भाग २, पृ.४७४ । पं० कैलाशचन्द्र, जैनधर्म पृ.१०७ ।

खोज की तत्ररता दिखाई देतो है । इशी आरमलोज की परंपरा को कुछ श्रमणों ने अपनाया है और बाह्यसे अंतर्भुख होने का आहान विशेष रूपते किया । सब श्रमणों ने ऐसा नहीं किया यह तो अकियावादी आदि की मान्यताओं को ध्यानमें ठें तो मानना ही पड़िया। भगवान महाबीर और बुद्धने इस अन्तर्भुखी प्रवृत्ति को प्रधान रूपसे अपनाया और इसी का प्रतिघोष हम उनके बादके वैदिक वाङ्मयमें भी देखते हैं । कमश्च: हिंसक यज्ञों की जो भौतिक संपत्ति के लिए कमकांडकी प्रवृत्ति चल रही थी उसका निराकरण हो कर आध्यारिमक यज्ञों के अनु-ध्यान की बात चल पड़ी थी-यह स्पष्ट होता है । और मानव मात्र का धार्मिक अधिकार समान है-यह भावना भी बढ रही थी ।

इसी मानवमात्रकी एकता की भावना को भगवान महावीर ने और भी नया रूप दिया और कहा कि जीने का अधिकार केवल मानव को ही नहीं किन्तु जगत के सूक्ष्म-स्थूल सभी जीवों को है । अतएव सामायिक ब्रत की व्याप्ति केवल मानव तक नहीं किन्तु संसार के सभी जीवों तक है । अतएव किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए । उपनिपदों में ब्रह्म की करना है, आत्माद्रैत को कल्पना है-किन्तु अहिंसा और अपरिग्रह आदि को उतना महत्त्व नहीं जितना कि भगवान महावीर ने अपने उपदेश में दिया । उनके मत में ब्रह्म का नहीं किन्तु समका महत्त्व है । उनका तो कहना था कि परिग्रह ही हमारे लिए बन्धन है और परिग्रह के लिए ही जीव सब प्रकार के पापाचार-हिंसा, चोरी, झूठ आदि का आश्रय लेता है । अतएव समका प्रचार करके परिग्रह के पाप से मुक्ति दिलाना ही जैनागमका ध्येय हो गया ।

भगवान् महावीर का यह सम या सामायिक का उपदेश जानने का हमारे पास एक ही साधन है और वह है जैनागम ।

किन्तु जैनागम क्या है, और कितने हैं और किसने कब लिखे या ग्रथित किये-इस विषय में जैनों में ही काफी मतभेद है। अतएव उस आगम के विषय में इस व्याख्यान में कुछ चर्चा करना मैने उचित माना है। इतःपूर्व आगमों के विषयों में मैंने काफी लिखा है किन्तु यहाँ जो विचार में रख रहा हूँ यह मिन्न दृष्टि से है। अतएव पुराने विचारों का पुनरावर्तन मात्र नहीं है यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं किन्तु मेरे इतः- पूर्व के विचारों में यहाँ संशोधन भी दिखाई देगा।

वर्तमान में जैनागम और तद्विषयक मतभेद

जैनागमके विषय में प्रथम यह जानना जरूरी है कि वर्तमानमें जैनागमान्तर्गत क्या समझा जाता है। जैनों के अनेक संप्राय हैं और इस विष्यमें ऐक्य नहीं। दिगम्बरोंके मनसे तो मूल जिनागम आवारांग आदि द्वादशांग विच्छिन्न हो गये हैं और केवल दृष्टिवाद नामक बारहवें अंगके अंश पूर्वके आधार से रचे गये कमायपाहुड और षद्खंडागम आगमस्थानीय हैं। श्वेशम्बरों के मासे ४५ प्रत्य जिनागममें शामिल है। उनके मतसे आचारांग आदि ११ अंग प्रत्य जिस रूपमें भी खंडित रूप में संभव था सुरक्षित कर लिया गया है और अन्य प्रत्य जो स्थिवरोंने भगवान महावीर के उपदेशका अनुकरण करके रचे थे वे भी आगमान्तर्गत कालकम से हो गये हैं। इतना ही नहीं, इन प्रत्यों की टीकाएँ-निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीका मिलकर पंचांगी जैनागमरूप से प्रमाणभूत है। स्थानकवासी और

१ आचा. १३८; सूत्रकृ. ५०३-५०८ । २. सूत्रकृ. १-४.

तेरापंथी केवल ३२ ग्रन्थों को ही मात्र मूलरूपमें जैनागमान्तर्गत गिनते **हैं । उनके म**तसे टीकाओं का आगमरूपसे प्रामाण्य नहीं ।

आगमों के विषयमें इस मतमेद का मूल आगमों की सुरक्षा के लिए जो वाचनाएँ हुई उन्हों में है। अतएव यहाँ संक्षेपमें उन वाचनाओं के विषयमें विचार कर लेना जरूरी है। इन वाचनाओं के विषयमें और श्रुतावतार के विषयमें अभी तक बहुत कुछ लिखा गया है। वाचना के विषयमें विस्तार से प्रयत्न मुनि श्री कल्याणविजयजी ने अपने वीरिनर्वाण संवत और जैन कालगणना' (सं०१९८७) में किया। तदनन्तर श्री पं० कैलाशचन्द्रजी ने जैन साहित्य का इतिहास-पूर्व पीठिका' (वीर नि. २४८९) में विस्तार से समालोचन किया है। श्रुतावतार के विषयमें पट्खंडागमकी प्रथमभागकी प्रस्तावनामें विस्तार से समालोचन किया है। श्रुतावतार के विषयमें पट्खंडागमकी प्रथमभागकी प्रस्तावनामें विस्तार से वर्णन है और उसीका विशेष विवेचन पं० कैलाशचन्द्रजी की उक्त पुस्तक में भी है। यहाँ तो मुझे इस विषयमें जो कुछ कहना है वह संक्षेपमें ही हो सकता है। और मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वह अब तक की इस विषयकी जो विचारणा हुई है उसीको लेकर ही होगा।

पाटलिपुत्रकी वाचना

इस वाचना को श्वेताम्बर संप्रदाय मानता है। इस वाचनाका कोई उल्लेख दिगम्बरों के प्राचीन साहित्यमें नहों। श्वेताम्बरों में भी इसका सर्वप्रथम उल्लेख तित्थोगालीमें (गा० ७१४ से) है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उसमें केवल इसी वाचनाका उल्लेख है और उसके बाद होनेवाली वाचनाओं का उल्लेख नहीं है। किन्तु चूर्णिमें है। अतएव मानना पडता है कि मूलमें तित्थोगाली नियुक्तिकालकी रचना है और चूर्णिपूर्व की रचना है । इस पाटलिपुत्र की वाचना की खास बात यही है कि दुर्भिश्च अकाल-अनाष्ट्रष्टि के कारण जैन अनण संघ को मगध से बाहर जाना पडा और कई अनण मृत्युके शरण हो गये। सुकाल होने पर जो भी बचे थे वे पाटलिपुत्रमें एकत्र हुए और एक दूसरे से पूछ पूछकर ग्यारह अंग जिस रूप में उपलब्ध हो। सका संकलित किया गया। किन्तु सिद्धान्तके सारमृत हिष्टाद किसी को याद नहीं भा। अतः सोचा गया कि मद्रवाहु जो योगसाधनामें लगे हैं उन्हों से इसकी वाचना ली जाय। मद्रवाहु ने स्थूलभद्र को वाचना दी किन्तु अपनी ऋदिके प्रदर्शनके कारण केवल दशपूर्वको अनुज्ञा दो-अर्थात् १४ में से केवल दश ही वे दूसरों को पढ़ा सकते हैं - ऐसा कहा। इम प्रकार स्थूलभद्र के बाद दशपूर्वका ही ज्ञान शेष रहा।

यहाँ तित्थोगालीमें भद्रवाहु कहाँ थे यह नहीं स्पष्ट होता । किन्तु वे पाठलिपुत्र से कहीं बहुत दूर तो हो नहीं सकते थे । इसका स्पष्टीकरण हमें आवश्यक चूर्णिसे प्राप्त होता है । उसमें उसी प्रसंगमें लिखा है -''नेगालवत्तणीए य भद्रगहुसामी अच्छित चोहसपुन्वी'' ए० १८७। अतएव वे इस परंपराके अनुसार उज्जैनमें जैसी कि दिगम्बरों की मान्यता है, हो नहीं सकते। दूसरी बात आवश्यक चूर्णिसे यह भी स्पष्ट होता है कि भद्रवाहु स्वामी अपनी साधना पूरी

१ यहाँ मैंने केवल प्राचीनतम उल्लेखको प्राधान्य दिया है। अन्य उल्लेखों के लिए देखें सूत्रकृतांगकी मुनि श्री जंब्विजयजी की प्रस्तावना पृ० २८।

२ यहाँ तित्थोगाली मूलरूप में जैसा था उससे अभिप्राय है। उपलब्धमें तो शक १३२३ तक की भी चर्चा है-गा० ६२४।

३ मृत्यु वीर नि १७० ।

४ मृत्यु वीर नि० २१५ में ।

करके स्थूचमद्र के साथ विहार कर के पाटलियुत्र आये (पृ॰ १८८) और वहीं स्थूलमद्र के द्वारा ऋद्भिपदरीत होने के कारण उन्होंने दशपूर्वके आगे वाचना देनेका निषेध किया । अत एव चतुर्दशपूर्वी भद्रबाहु अकालके कारण उज्जैती गये और अकालके ही कारण शिथिलाचार बढ कर संघमेद हुआ यह जो दिगम्बर परंग्रा को मान्यता है -वह विचारणीय हो जाती है | तित्योगालीमें तो स्पष्ट लिखा है कि कुछ मुनि अकाल के कारण मगध से बाहर गये और कुछने अनदान कर लिया और जो बाहर गये वे भी यतनासे जीवनयापन करते रहे⁸। सुकाल होने पर मगधमें जो वापस आये उनमें कोई मतभेद हुआ ऐसा कोई उल्लेख भी ितत्थोगालीमें है नहीं । और दिगंबर परंपरा के लेखकों ने, जो निश्चित रूप से तिरथोगाली के बाद के हैं, अकाल के कारण ही वस्त्रग्रहण होने लगा या उस अकालमें वस्त्रग्रहण की प्रथा चल पड़ी—यह जो लिखा है वह तो निराधार ही प्रतीत होता है क्यों कि जहाँ खाना मिलना ही दुष्कर हो वहाँ वस्त्र सुलभ कैसे होगा ? वस्त्र की प्रथा चालू हुई इसका कारण अकाल तो नहीं हो सकता । यह बात दिगंबर लेखकों के भी ध्यानमें आई है अतएव अपनी परंतराको सिद्ध करने के लिए कथा भी गढ ली कि नग्नको देखकर श्राविका का गर्भपात हुआ और उसीके कारण आगे चलकर अर्धिक:लक्त संप्रदाय चला -ऐसी कथाओं में सांप्रदायिक -तथ्य हा सकता है, इतिहासका तथ्य नहीं । और इसी प्रसंगमें दिगैंबर लेखकों द्वारा यह जो कहा जाता है कि अपने शिथिलाचारके अनुमार शास्त्र की रचना की यह भी निराधार है। विद्यमान शास्त्र को देखकर यदि यह आक्षेप किया जाय तो कुछ अंशमें औचित्य होगा । किन्त उसे भद्रबाहु के कालके साथ बोडना तो असंगत ही है। क्यों कि विद्यमान श्वेताम्बर आगम पाटलिपुत्र की वाचना के अनुसार हैं यह तो श्वेताम्बर भी नहीं मानते। दसरी बात यह भी है कि उज्जैन वाले भद्रबाहु और मगधके भद्रबाहु चर्द्रशपूर्वी का ऐक्य भी संदिग्ध है। दो भद्रबाहु हुए ऐसा दोनों परंपरा मानती है और कथाकारोंने दोनों की कथाओं का मिश्रण कर दिया है यह प्रतीत होता है।

पाटिलिपुत्रकी वाचना में एकादश आंग स्थिर हुए ओर स्थूलभद्रने दशपूर्व की वाचना आगे बढाई -इतना स्पष्ट है, किन्तु श्विताम्बरों के अनुसार जो दूसरी वाचना मथुरामें करनी पड़ी-यही सिद्ध करता है कि पुनः नवनिर्माणकी आवश्यकता आ पड़ी थी। अत एव विद्यमान श्विताम्बर आगमों को पाटिलिपुत्रकी वाचना से भिन्न ही मानना चाहिए। अर्थात् ही पाटिलिपुत्रकी वाचना से बचे हुए आगमों में ही परिवर्तन -परिवर्धन -संशोधन कर मथुरी वाचना हुई।

तित्थोगाली केवल अंगकी वाचना का ही निर्देश करता है। वह अंगनाहाकी वाचना के विषयमें मीन है। स्पष्ट है कि उस काल तक भगवान के उपदेश का संकलन श्रुतरूपसे अंगमें ही माना गया था⁸। इसका यह अर्थ तो नहीं कि उस काल तक अन्य प्रन्थ नहीं बने थे। दशवैकालिक शब्यंमव^{र्भ} की रचना है। वह मद्रवाहु के पूर्वकी है और स्वयं मद्र-

१ देखें जै.सा. इ. पूर्वपीठिका, संघमेद प्रकरण, पृ० ३७५ से ।

२ यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि 'दुभिक्खभत्त' का उपयोग जैन मुनि नहीं कर सकते-ज्ञाताधर्मकथागत मेघकथा सु० ३१, सुत्तागमे पृ. ९६२।

३ जै.सा. इ पूर्त्रपीठिका पृ० ३७७ ।

४ देखें, समवाय १, २११-२२७ । भगवती २५.३ ११५-११६ ।

५ तित्थोगाली गा० ७१२-७१४ ।

बाहुने भी दशा-कल्प-व्यवहार की रचना की थी ऐसी श्वेताम्बर मान्यता है। किन्तु इन ग्रन्थों की वाचनाका कोई प्रश्न नहीं था। वाचना केवल अंगग्रन्थों की आवश्यक समझी गई थी। क्योंकि आगम या श्वेत अंगग्रन्थों तक सीमित था। आगे चलकर श्रुतविस्तार हुआ - अन्य आचार्यकृत ग्रन्थों को भी क्रपश: आगमकोटिमें लाया गया यह कहकर कि वे भी गणधर कृत है ।

माथुरी वाचना

माथुरी वावार भी पाटलियुत्र की वाचना की तरह केत्रत अंगसूत्रोंके लिए ही हुई थी। नंदी चूर्णि में अंग के लिए कालिक शब्द का प्रयोग है-पूरु ४६ । उनमें भी अंगबाह्य की वाचना या संकलनाका कोई उल्लेख नहीं है। माथुरी वाचना पाटलिपुत्रमें न होकर मथुरामें हुई यह सिद्ध करता है कि उस कालमें पाटलिपुत्र के स्थानमें मधुग जैनों का विशिष्ट केन्द्र बन गया था । अर्थात् बिहार से हटकर अब जैनों का प्रभाव उत्तर प्रदेशमें बढ गया था । यहीं से कुछ अमग दक्षिणकी ओर गये थे । जिसकी सूचना दक्षिणमें प्रसिद्ध माथुर संघ के अस्तित्व से मिलती है। यह भी एक कारण है कि दक्षिण के दिगंबरों के ग्रन्थ महाराष्ट्री प्राकृतमें न होकर भी शौरसेनी भाषाके प्रभाव से मुक्त नहीं है । माधुरी वाचनाके प्रधान थे ^डस्कंदिलाचार्य, वे परंपराके अनुसार वीरनि० ८२७ से ८४० तक युग प्रधान पद पर थे । इस काल तक अंगों के अलावा कई अंग बाह्य प्रत्य बन चुके थे किन्त इसमें उनकी वाचना या संकलनाका प्रश्न नहीं था। इस अंगकी वाचना की आवश्यकता के विषय में दो मत हैं। एक यह कि कालिक अत=अंग आगम अन्यवस्थित हो गया था। यह मत संभवतः दिगंबर परंपगके अनुकूल है। दूसरा यह कि उस काल में अनुयोगधरों का अभाव हो गया था. केवल स्कंदिल ही एक मात्र बचे थे⁸। स्पष्ट है कि दूसरे मतके उत्थान का प्रयोजन ही यह दीखता है कि जो कुछ उस वाचनामें किया गया वह नया नहीं किया गया, जो प्राना चला आ रहा था वही व्यवस्थित किया गया जिससे उसके प्रामाण्य में कोई कमी न हो । वास्तविक रूप से देखा जाय तो माथुरी वाचनामें ही परिवर्तन-परिवर्धन-संशोधन करके अंग सूत्रों को व्यवस्थित किया गया होगा। और इसी कारणसे उसके प्रामाण्यमें लोग शंका करने लगे होंगे। अतएव उसके निराकरणके लिए ही यह मत उत्थित हुआ कि सूत्रमें कुछ नया नहीं किया गया-सूत्र नष्ट ही नहीं हुए थे या अन्यवस्ति नहीं हुए थे । केवल उनके जानकारीं और व्याख्याकारोंकी कमी हो गई थी । इस प्रकार नये निर्माणको प्रामाण्य देना उस दूसरे मत का प्रयोजन सिद्ध होता है। यदि पाटलिपुत्रकी वाचना ही व्यवस्थित की गई होती तो उसके प्रामाण्यके विषयमें कुछ प्रश्न ही नहीं उठता ओर न इस दूसरे मत के उत्थान की आवश्यकता ही होती ।

१ दशवैकालिक और कल्प-ज्यवहार को तो दिगंबरों ने भी अपनी अंगबाह्यसूची में स्थान दिया है -धवला पु.१, पू० ९६ । जयधवला पृ० २५ ।

२ आगम संख्या किस प्रकार ऋपशः बढी इसके लिए देखें -आगम युग का जैन दर्शन, पृ०२७ ।

३ देखें नंदी कारिका ३२ और उसकी चूर्णि ।

४ नंदी चूर्णि ए० ९ ।

श्वेताम्बरों द्वारा मान्य अंग ग्रन्थ जो विद्यमान हैं वे माथुरीवाचनानुसारी हैं और उसमें जो परिवर्तन-परिवर्धन-संशोधन किया गया है-उसके विषयमें अगे चर्चा की जायेगी ।

माधुरोवाचना के अलावा नागार्जुनीय वाचना भी वलभी में हुई ऐसा निर्देश सर्वप्रथम कहावली में ही मिलता है। कहावली मदेश्वरकी रचना है और वह आ. हरिमद्र के बाद की रचना है। अलएव उस निर्देशका कारण यही हो सकता है कि कुछ च्रिणेओं नागर्जु नीय के नाम से पाठांतर मिलते हैं और पन्नवणा जैसे अंगबाह्य ग्रन्थमें भी पाठांतर का निर्देश है अलएव अनुमान किया गया कि नागार्जु न ने भी वाचना की होगी। यह सत्य है या केवल कल्पना इस विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता किन्तु इतना तो निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि मौजुदा आगम (अंग-आगम) माधुरी वाचनानुसारी हैं। और उसमें तथ्य भी है। अन्यथा पाठांतरों में स्कंदिलके पाठांतरोंका भी निर्देश मिलता । अंग और अन्य ग्रन्थों की ऐसी व्यक्तिगत कई वाचनाएँ हुई होंगी यह भी तथ्य है अन्यथा भगवतीआराधनाकी अपराजितकृत टीकामें आचारांगादि के जो पाठ उद्घृत किये हैं वे सभी उसी रूपमें विद्यमान आचारांग आदि में मिल जाते। किन्तु कुछ मिलते नहीं हैं—यह तथ्य हैं । और यह भी तथ्य है कि आचारांगादि प्राचीन आगमों की चूर्णिमें जो पाठ स्वीकृत हैं उससे मिन्न पाठ टीकामें कई स्थानोंमें मिलता हैं। यह सिद्ध करता है कि अंग आगमों की वाचनाके एकाधिक प्रयस्त पाटलिपुत्रकी वाचनाके बाद हुए हैं। इतना ही नहीं प्रश्रन्याकरण जैसे ग्रन्थ का तो संपूर्ण रूपसे परिवर्तन हो गया है और अगों की कथाओं में भेद भी हो गया है ।

अतएव इतना तो निश्वयपूर्वक कहा जा सकता है कि इन वाचनाओं द्वारा उपलब्ध मौलिक अंग आगम की सुरक्षाका प्रयत्न अवश्य हुआ है। साथ ही इतना भी मानना पडेगा कि सांप्रदायिक आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन, परिवर्धन और संशाधन भी किया गया है।
आ॰ देवर्धिका पुस्तकलेखन

आ॰ देविधिने आगमों को पुस्तकारूढ किया यह परंपरा तो हमारे समक्ष है किन्तु किन किन प्रन्थों को पुस्तकारूढ किया इसका कोई उल्लेख मिलता नहीं । नंदी में जो श्रुनकी सूची दी गई है वह हमारे समक्ष है किन्तु नंदो देविकी रचना नहीं है । ऐसी स्थितिमें नंदी की सूचीगत सभी प्रन्थ देविधि द्वारा पुस्तकारूढ हुए थे यह नहीं कहा जा सकता । अतएव इसका निर्णय कठिन है कि वे कौन प्रन्थ थे जो पुस्तकारूढ हुए । सामान्यतः इतना कहा जा सकता है कि अंगप्रन्थों को तो पुस्तकारूढ किया ही होगा। अंगवाद्यों जितने प्रन्थ पूर्ववर्ती होंगे वे तो पूर्वकारूढ होंगे ही । किन्तु विद्यमान आगमसूर्च में ऐसे कई प्रन्थ हैं जो देविधिके बादकी रचना है, जैसे कि कुछ प्रकीणक प्रन्थ । अतएव यह मानना पडता है कि श्वेताम्बर परंपरामें आगम कोटिमें समय समय पर नये नये प्रन्थ संमिलित किये जाते रहें हैं। यही प्रक्रिया दिगंबर परंपरा में भी देखी जाती है । अन्यथा दिगंबर परंपरामें मूलाचार से लेकर विद्यानन्द तक प्रम्थ आगम के प्रामाण्य को कैसे प्राप्त होते ? पिछले वर्षों में प्रद्वंडागम

१ नदी गा० ३२ (स्थविरावली)।

२ विशेष के लिए देखें वीरनि॰ पृ॰ ११४।

३ जै. सा. इ. पूर्वपीठिका पृ० ५२५ ।

४ देखें स्थानांग-समवायांग (गुजराती) पृ॰ २४५ टि॰ १, पृ॰ २५६ टि०१, २-१०, पृ० २५७ के टिप्पण ।

और कसायपाहुड मिलने के बाद इस प्रक्रियामें परिवर्तन देखा जाता हैं और सिद्धान्त ग्रन्थोंके रूपमें इन्हीं दोको आर उनकी टीकाओंको ही महत्त्व मिलने लगा है—जो उचित ही है।

श्रुतावतार

श्वताम्बरोमें आगमों, खासकर अंग आगमोंकी वाचना का जिक है जैसा कि हम ने इसके पूर्व कहा है। तो दिगंबरों में वाचनाका प्रश्न ही नहीं है क्योंकि उनके मतमें आगम-स्थानीय षदखंडागम है और वह भूतबलि-पुष्पदंतकी रचना मानी जाती है। फिर भी किस प्रकार उत्तरोत्तर आंग आगमों का विच्छेद होता गया और आंगमें किस प्रकार उक्त दो आचायोंने षद्खंडागम की रचना आ०धरसेन से उपदेश प्राप्तकर की उस विवरणको श्रुतावतारके रूपमें दिया जाता है। नंदी आम्नाय पद्दावलीमें इन दो आचायोंको एक आंग(आचारांग)धर कहा है (धवला भाग २, प्रस्तावन। पृ० २६) और उनका समय वीरनि० ६८३ के बाद कभी है।

घवला टीकामें तो यह स्पष्ट किया है कि लोहार्य के बाद—''ततो सन्वेसिमंगपुन्वाणमेगदेसो आइरियारंपराए आगच्छमाणो घरसेणाइरियं संपत्तो''—स्पष्ट है कि घरसेन आचार्य तक संपूर्ण अंग और पूर्वका विच्छेद नहीं था, उनका एकदेश घरसेन तक तो सुरक्षित था। उसी शेष अंश के आधार पर वीरिनि. ६८३के आसगास घट्खंडागम की रचना मानी जाती है।

दोनों की तुलना

खास ध्यान देनेकी बात तो यहाँ यह है कि आचार्य घरसेन भी सौराष्ट्र में ही गिरनार की गुफा में ये और सौराष्ट्रके ही बढ़भी नगरमें खेताम्बरों के मतसे आगमों का पुस्तकलेखन हुआ। दिगंबरों ने बीरिन. ६८३ के बाद यह किया तो खेताम्बरों ने माथुरीवाचना जो बीरिन. ८२७-४० के बीच हुई उसका लेखन बीरिन. ९८० या ९९३ में पूर्ण किया । स्पष्ट है कि दोनोंमें जो करीब ३०० वर्ष का अन्तर है उसीके कारण खेताम्बरोंमें आगमों की संख्या बढ़ गई इतना ही नहीं किन्तु उस संप्रदायकी मान्यताओं की पुष्टि का भी उन्हें अवसर मिला। इन्ही ३०० वर्षों में जो अन्य दिगम्बर प्रत्थ बने उनमें भी यही प्रक्रिया अपनाई गई और दिगम्बर मान्यताओं को पुष्ट किया गया।

वीरित ६८३ के बाद रचे गये षट्खंडागममें पितपाद्य जो विषय है उसमें श्विताम्बरोंका कोई मतमेद नहीं है । यही सिद्ध करता है कि उस समय तक जो श्रुत सिद्धान्त था उसमें श्वेताम्बर दिगम्बरमें कोई मेद नहीं था । स्त्री-मुक्ति जैसे विषयमें जो श्वेताम्बर-दिगम्बरमें आज सैद्धान्तिक मतमेद हमारे समक्ष है—वह भी नहीं था। अर्थात् दोनों उस काल तक स्त्री-मुक्ति मानते थे। यह सिद्ध करता है कि पारंगिक सिद्धान्त दोनोमें सुरक्षित थे। उसके बाद ही वस्त्रके आचारको लेकर जो मतमेद हट होता गया उसी के फल्स्वरूप स्त्री-मुक्ति का निषेध भी

१ वस्तुतः षट्खंडागम जैसा उपलब्ध है वह न तो एक काल की रचना है और न एक आवार्य की रचना है। कई प्रकरणों का उसमें समावेश है जो निश्चित रूगसे एक काल की रचना नहीं। विशेषतः पुस्तक १३ गत सुत्रों से सुचित होता है कि यह अनुयोग प्रकिश इतः पूर्व षट्खण्डागम में नहीं देखी जाती।

२ यहाँ यह ध्यान देनेकी बात है कि धरसेन को आवार्य परंपरासे प्राप्त था तो ६८३ के बाद कितने आचार्य समझे जाय ?

३ लेखनका यह काल कल्यस्त्रगत उल्लेखके आधार पर ही माना जाता है किन्तु यह भी विचारणीय है कि यह आगमलेखनकाल है या नहीं ।

दिगम्बरों में दृढ़ होता गया । और स्त्रोमुक्तिकी स्थापना यापनीयों में और श्वेताम्बरोंमें दृढ़ होती गई ।

आचार्य उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र भी इस बात का साक्षी है कि वह दोनों संप्रदायों के द्वारा इसी लिए अपनाया गया है कि उसमें भी मौलिक जैनागमों के सिद्धान्तका निरूपण है। उसी की टीकाएँ जो लिखी गईं उनमें दोनों संप्रदायों ने अपनी अपनी मान्यताओं का निरूपण करनेका यत्र तत्र भयत्न किया है किन्तु मूल तत्त्वार्थसूत्र में दोनों संम्प्रदायों की मान्यता की एकरूपता स्पष्ट होती है।

दिगंबरों को मान्य मूलाचार जो आ वहकेर या कुन्दकुन्दकी कृतिरूप से माना जाता है उसमें भी स्त्रीमुक्तिका समर्थन देखा जाता है । यह भी सिद्ध करता है कि उस विषय में सैद्धांतिक मतभेद की जड़ उसके बाद हो कभी हुई है । उनमें लिखा है—

"एवंविधाणचरियं चरंति जे साधवो य अङजाओ । ते जगपुङ्जं किस्ति सुहं च लखूण सिज्झंति ॥

मूलाचार ४. १९६, पृ० १६८।

मौलिक निर्मुक्ति में भी स्त्री-मुक्ति का प्रश्न चर्चित नहीं है। मूलनिर्मुक्तिमें बोटिक निह्नव का भी उल्लेख नहीं हैं जो बाद में उसमें जोड़ा गया यह इस लिए स्पष्ट है कि उत्तराध्य-यनमें निह्नवों सम्बन्धी जो गाथा है, उसमें बोटिक निह्नव का उल्लेख नहीं है। यह उल्लेख बाद में आवश्यकिनिर्मुक्ति में जोड़ा गया हैं—इससे यह स्पष्ट है। क्यों कि आवश्यकिनिर्मुक्ति के निर्माण के बाद ही उत्तराध्ययनिर्मुक्ति का निर्माण हुआ है फिर भी उसमें यह निह्नव न पाया जाय तो स्पष्ट होता है कि आवश्यकिनिर्मुक्ति में ही यह बादमें जोड़ा गया। और टाणांग में भी सात ही निह्नवों का उल्लेख है — ठाण ७४४। स्थानांग-समवायांग ए.३२७—३३५। उत्तरा. नि० गा० १६४ से । आवश्यक नि० गा०७७८ से ।

आगम कब कितने ?

अंग आगम बारह² हैं— इस मान्यता को स्थिर होनेमें भी समय गया होगा। इसके प्रमाण स्वयं श्वेताम्बरों के आगम ही दे रहे हैं। स्वयं प्रथम भद्रबाहु के समय तक बारह अंगों की स्थापना, प्रामाण्य और स्वाध्याय की प्रक्रिया ग्रुरू हो गई थी—इसमें भी संदेह है। क्यों कि व्यवहारस्त्र जो श्वेताम्बरके अनुसार स्वयं भद्रबाहु की रचना है उसमें जो स्वाध्याय—क्रम दिया है उसमें बारह अंगमें से कुछ ही हैं। लेकिन समय बीतने पर बारह अंग श्रुत है यह मान्यता स्थिर हो गई । क्यों कि यह बात श्वेताम्बर और दिगंबर

१ 'मूलाचार' में बादमें काफो बुद्धि हुई है यह भी ध्यानमें रखना आवश्यक है। पूरी को पूरी कृति न एक काल की है न एक कर्ता की । किन्तु संग्रहग्रंथ है।

२ बारह अंग की बौद्ध मान्यता के लिए देखें, श्री जंब्विजयजो संपादित आचारांग पृ० ४०२। वहां भी नव अंग में से बारह की कल्पना को है। नव का निर्देश स्थविरवाद में, बारह का निर्देश महायान में है।

३ व्यव उव १० सूव २९७-३१२ ।

४ सूत्रकृतांग के द्वितोप श्रुतस्कंघमें ६६१ में ईश्वरकारिंगक की चर्चा के समय-''दुवालसंग गणिपिडगं'' का उल्लेख सर्व प्रथम आता है ।

दोनों को मान्य है अतएव यह कहा जा सकता है कि सम्प्रदायभेद होने के पूर्व यह व्यवस्था हो गई थी। अंगके बाद अंगबाद्य आगमका प्रश्न है। उत्तराध्ययन में ग्यारह अंग, अंगबाद्य, प्रकीर्णक और दृष्टिवादका उल्लेख हैं—२८.२१,२३। आचार्य उमास्वातिके तस्वार्थभाष्यमें अंगबाद्य में सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान, दश्वैकालिक, उत्तराध्ययन, दशा, कल्प, व्यवहार, निशीथ, ऋषि-भाषितादि—का खल्लेख है। नामतः १३ की गिनती की गई और 'आदि' से अन्य भी अभिप्रेत होंगे। यही सूची थोड़े परिवर्तन के साथ घवलामें है जहां १४ अंगबाद्य नामतः गिनाये गये हैं। इससे इतना तों स्पष्ट होता है कि यह सूची सामायिक आदि पृथक् छः प्रकरण प्रन्थों का समावेश 'आवश्यक' नाम से किया गया उसके पूर्वकी है। अतएव उत्कालिक अंगबाद्यके आवश्यक और तद्वचितिस्तव इस प्रकार का जो विभाजन स्वेताम्बरीं में हुआ इसके भी पूर्वकी यह सूची है—ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार का विभाजन नंदी (सू०७८, पृ०५७) और अनुयोग-द्वारस्त्र में (सू० ५, पृ० ६०) है।

स्थानांग-समवायांग में अंगबाह्य माने जाने वाले प्रन्थो में से—केवल क्षुद्रिकाविमान-विभिन्त, महाविमानविभक्ति, ऋषिभाषित, उत्तराध्ययन, दशा-कल्प-व्यवहार, चन्द्रप्रचित, सूर्यप्रज्ञित, जम्बूद्रीपप्रज्ञित और द्वीपसागरप्रज्ञित का उल्लेख हैं —(गुजराती अनु० ए० २६२ -२६३।) और इन चार दशाओं-जन्धदशा, द्विग्रिद्धदशा, दिघेदशा, संक्षेपित दशा (ए०२५६) का भी उल्लेख हैं किन्तु टीकाकार का कहना है कि इनके विषय में हम कुछ नहीं जानते।

तित्थोगाली में जहाँ श्रुतिवच्छेद की चर्चा है वहाँ बारह अंग के उपरांत निम्न श्रुत का उल्लेख है-कल्प व्यवहार, दशा, निशीथ, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, अनुयोगद्वार और नंदी-इससे पता चलता है कि उसके काल तक इन ग्रंथों का आगम में समावेश होगा। इसमें चन्द्र आदि चार प्रज्ञितों का उल्लेख नहीं यह सूचित करता है कि अब तक उनका आगमकी कोटि में समावेश नहीं था। अतएव स्थानांग समवायांग में उनका उल्लेख को मिलता है वह कालक्रम से आगमकोटि में उनहें स्थान मिला यह सूचित करता है।

इसके बाद होनेवाली आगमों की सूची के विषय में मैं ने अन्यत्र चर्ची की है उसे यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अगमकी संख्या क्रमशः बढी है इतना दिखाना ही यहाँ अभिप्रेत है।

आगमों के वर्गीकरण के विषय में भी मैंने अन्यत्र चर्चा की है अतएव उसे भी यहाँ दोहराना आवश्यक नहीं ।

आगमों में चर्चित विषयों का क्रमिक विकास

इसमें तो संदेह को कोई स्थान नहीं है कि आगमों में प्राचारांग का प्रथम श्रुतस्कंघ सबसे प्राचीन स्तर है। उसके बाद कम में आता है स्क्रकृत का प्रथम श्रुतस्कंघ। और वह भी आचार्गग में प्रतिपादित विषयों का मानों विवरण हो ऐसा है। अतएव ये दोनों हमें भ. महावीर के मौलिक उपदेश की झलक देने में समर्थ हैं। उन दोनों में श्रमणधर्म को के चन्द्र, सूर्य और जंबूशीर इन तीन प्रकृतिओं का समर्थिश दिगंबर मतसे दृष्टिबाद में

है। धवला पु.२, प्रस्तावना पृ० ४३ । २ जैन-साहित्य का बृहद् इतिहास भाग १, प्रस्तावना पृ०३४ से । ३ वही पृ० ३३ से । ही महत्त्व दिया गया है। ग्रहस्थधर्म की तो केवल निंदा ही है। आगमगत इसी प्राचीन मान्यता में क्रमशः जो परिवर्तन आया वह अन्य आगमों की तद्विषयक चर्चा से स्पष्ट होता है। आगे चलकर ग्रहस्थ या उपासक वर्ग का निर्माण हुआ और उनको भी जैन संघ में स्थान मिला। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है।

श्रमणों के आचार का विवरण देखा जाय तो स्पष्ट होता है कि नियम रूप से पांच महान्वतों के स्वीकार की कोई चर्चा आचारांग के प्रथम श्रुतस्कंघ में नहीं है। सूत्रकृत प्रथमस्कंघ की एक गाथा में प्राणातिपातादि पांच दोषों का उल्लेख एक साथ है और कहा गया है कि 'जिणसासण परंगुहा' जो हैं वे इन दोषों का पोषण स्त्री के वश होकर करते हैं (२३२-२३३) किन्तु इस प्रकार पांचों दोषों का कोई उल्लेख एक साथ आचारांग प्रथम श्रुतस्कंघ में नहीं है। और नहीं एक साथ उनकी विरित्त की चर्चा आचारांग में है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रमणों को पांच महावत का स्वीकार करना चाहिए— यह प्रक्रिया कालक्रम से जैन संघ में आई है। श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनें यह मानते हैं कि प्रारम्भ में श्रमण सामायिक व्रत का स्वीकार करते हैं। इससे भी स्चित होता है कि श्रमण बनने की यही प्रक्रिया थी और सूत्रकृत में तो स्पष्ट ही लिखा है कि भगवान महावीर ने ही सर्व प्रथम सामायिक का उपदेश दिया—

"ण हि णूण पुरा अणुस्सुयं अदुवा तं तह णो समुहियं । मुणिणा सामाइ आहियं णाएण जगसन्वदंसिणा ॥ सूत्रकृत-१४१.

आचारांग के उपदेश का सार देखना हो तो यही है कि संसार में षड्जीवनिकाय हैं। वे सभी सुख चाहते हैं दुःख कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता, अतएव किसी भी प्राणी या जीव को पीड़ा देना नहीं चाहिए । जैसा मुझे सुख प्रिय है, सभी को सुख प्रिय है अतएक किसी को पीड़ा देना नहीं चाहिए-यही समताभाव है-जो सामायिक है। इसी प्रश्न को लेकर भगवान का उपदेश हुआ । इसी अहिंसा में से सत्यादिका स्वीकार हुआ । सूत्रकृतांग के प्रारम्भ में ही भगवान महावीर ने यह कहा है कि परिग्रह ही बन्धन है और उसी के कारण जीव हिंसा आदि का आचरण करता कराता है। इस दृष्टि से देखा जाय तो सब पापों का मूल भ. महावीर की दृष्टि में परिग्रह को ही माना गया । और यही कारण है कि उन्होंने अपने असण जीवन में नग्नता का र स्वीकार किया और अचेलधर्म का प्रतिपादन किया । यह स्वामाविक है कि यह कठोरतम धर्म था जिसकी निंदा भ. बुद्ध ने की है। जिस प्रकार अतिभोग एक एकांत है उसी प्रकार भोग का आत्यंतिक त्याग-आत्मा को अतिकष्ट देना-भी दूसरा एकान्त है । अतएव भ. बुद्ध ने तो दोनों अंतोको छोड़कर मध्यम मार्ग का स्वीकार किया । यही कारण है कि जैन श्रमण परम्परा में भी भ. महावीर का आत्यंतिक अचेलक मार्ग पनपा नहीं और इवेताम्बर संप्रदाय या सचेलक सम्प्रदाय का उद्भव हुआ है। दिगम्बरों में भट्टारक सम्प्रदाय भी इसी बात की पुष्टि करता है कि आत्यंतिक कष्ट का मार्ग सबके लिए प्रशस्य नहीं है ! हम भले ही मध्यममार्ग को शिथिलमार्ग कह करके उसकी निन्दा कर किन्तु सर्वजन सुलम तो

१''सब्बं में अकरणिंडजं पापकम्मं ति कड्ड सामाइयं चरित्तं पडिवज्जह'' आचारांग श्रु॰ २ अ० १५, सु॰ १०१३ (महावीरचरित)

२ सूत्रकृतांग में भी नग्नता की ही प्रतिष्ठा श्रमण के लिए निर्दिष्ट है- 'जस्सडाए कीरइ नग्गभावे मुंडभावे ' सु॰ ७१४, पृ०१८५ ।

यही मार्ग हो सकता है। और जैन श्रमण परम्परा का इतिहास भी इसकी पुष्टि करता है कि अनेक बार अति उत्कट क्लेश के मार्ग को अपनाने का प्रयत्न हुआ किन्तु उसमें सफलता कुछ समय तक ही सीमित रही है। उस अन्तिम आदर्श की तारीफ अवस्य करें किन्तु मध्यम-मार्ग को निंदा तो न करें – यही उचित हो सकता है।

षड्जीवनिकाय का उपदेश में महावीर का प्रतिपाद्य रहा। उन्होंने कहा है कि ये जीव बन्धनों में पढ़ कर नाना दिशाओं में जन्म ग्रहण करते हैं और पुनर्जन्म की परंपरा चलती है। इस पुनर्जन्म की परंपरा के निरस्त करना, मोक्ष प्राप्त करना न्यही जीवन का उद्देश्य है। अत एवं आगे चलकर जीवविद्या का विकास उकत दोनों आगमों के बाद के आगमों में देखा जाता है। वह सारा का सारा विकास जो हम देखते हैं वह स्वयं भ. महावीर की देन है यह नहीं कहा जा सकता। आचार्यों ने उस विषय की व्याख्या की तब जीव का स्वरूप नउसकी नाना प्रकार की गति उस की स्थित — उसके भेद इत्यादि विवरण हमें अन्य आगमों में क्रमशः विकसित रूप में मिलते हैं जीव की विविध गति के सन्दर्भ में ही भूगोल खगोल के विषय में भी आचार्यों ने सोचा और तत्काल में जो उस विषय की विचारणा आर्यों में चलती यी उसका अपनी दृष्टि से समावेश अपने शास्त्र में किया व अतएव उसका भ. महावीरकी सर्वज्ञता से कोई संबन्ध नहीं है।

इसी प्रकार काल का उत्सर्विणी-अवसर्विणी आदि भेद और उनमें तीर्थकरों के उद्भवकी चर्चा भी आगमों में कालक्रम से ही आई है । वैदिकों के युगें की कल्पना को समक्ष रखकर यह व्यवस्था जैनाचायों ने सोची है । अतएव इसे भी भ. महावीर के मौलिक उपदेशके साथ जोड़ना जरूरी नहीं है ।

जैनों की विस्तृत कर्मविचारणा और गुणस्थान की विचारणा भी क्रमशः ही विकित हुई है । कर्मरज है, कर्मशरीर है और वह आत्मा का बन्धन है-इससे मुक्ति पाना ही मोश्व या निर्वण है और यही जीव का ध्येय है—इतनी सामान्य बातका निर्देश तो मौलिक विचार के रूप में भ महावोर का हैं। किंतु कर्म के प्रकार और उनके प्रदेश-स्थिति-अनुभाव आदि का जो विस्तृत निरूपण हम आगमों में देखते है वह मौलिक उपदेश का आचायों द्वारा किया गया विकास है और उन्हें भी क्रमशः आगम में स्थान मिला है । चौदह गुणस्थान की चर्चा तो उमास्वाति आचार्य तक भी विकित्त नहीं हुई थी यह भी तत्त्वार्थसूत्र (९.४७) से स्पष्ट होता है । अतएव उन्हें भ महावीर के मौलिक उपदेश में शामिल नहीं किया जा सकता । यही कारण है कि आगे चलकर हम परम्परा में सेद्धांतिक और कार्मप्रन्थिक ऐसे मेदों को देखते हैं।

१. आचा० अ०१ ।

२. विशेषतः देखें प्रज्ञापना-सूत्र ।

३. जीवा नीवाभिगन, जंबूद्रीपप्रज्ञित, चन्द्र-सूर्यप्रज्ञित, आदि ।

४. जम्बूदीवपण्यत्ति व० २, जीवाजीवाभिगम सूत्र १७३, १७८

५. भ. महावीर को 'धूतरए' कहा है, सूत्रकु० २९९ ।

६. आचा० ९९ ।

७. सूत्रकु० ३६६ ।

यहाँ तो मैंने स्यूलरूप से क्रमिक विकासका निर्देश किया है। इसका व्यवस्थित निरूपण तो पुस्तक का विषय हो सकता है व्याख्यान का नहीं। जैनदर्शन के विकास की रूपरेखा में इसकी चर्चा संक्षेप में करू गा।

भ. महावीर के मौलिक उपदेश का जो मैंने निर्देश किया और उसी का विकास जो आवायों ने किया उसका जो संक्षित विवरण मैंने दिया है उनके आधार की चर्चा भी कर लेना उपयक्त होगा।

मैंने इत: पूर्व वाचनाओं का निर्देश किया है। माधुरीवाचनांतर्गत अंग ग्रन्थ जो हमें उपलब्ध हैं उसी के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ। जितने भी अंगबाह्य ग्रन्थ हैं, खास कर उपांग, उन्हें यदि देखा जाय तो उनमें 'अंग आगम से हमने यह बात कही है और उसके लिए अमुक अंग आगम देखें 'ऐसा निर्देश नहीं आता'। पन्नवणा के प्रारम्भ में उसे हिष्टवाद का निस्यंद कहा है किन्तु तदितिरकत जो अंग आगम आचार आदि हैं उनका साक्षी के रूप में निर्देश नहीं आता। दृष्टवाद से उद्धरण की बात की चर्चा एक अलग व्याख्यान का विषय हो सकता है—सामान्य रूप से मैं यहाँ इतना कह देना चाहता हूँ कि क्योंकि दृष्टिवाद का विच्छेद माना गया था किसी भी नयी बात को आचार्य को कहना हो तो दृष्टिवाद से मैंने यह बात कही है—यह कह देना आसान था। जैसे वैदिकों ने छप्तश्रुति का आश्रय लेकर कई नई परम्परा को चलाया है—यही प्रक्रिया जैनों में भी देखी जाती है।

किन्तु माथुरीवाचनान्तर्गत अंग आगमों में जैसे कि भगवती-व्याख्याप्रज्ञित जैसे बहुमान्य आगम में भी जहाँ भी विवरण की बात है-वहाँ अंगबाह्य उपांगों का-औपपातिक, पन्नवणा, जीवाजीवाभिगम आदि का आश्रय लिया गया है। यदि ये विषय मौलिक रूप से अंग के होते तो उन अंगबाह्यों में ही अंगनिदेश आवश्यक था। ऐसा न करके अंग में उपांग का निदेश वह सूचेत करता है कि तिद्विषयकी मौलिक विचारणा उपांगों में हुई है। और उपांगों से ही अंग में जोड़ी गई है।

यह भी कह देना आवश्यक हैं कि ऐसा क्यों किया गया। जैन परंपरा में यह एक धारणा पक्की हो गई है कि भगवान महावीर ने जो कुछ उपदेश दिया वह गणधरों ने अंग में प्रथित किया। अर्थात् अंगप्रन्थ गणधरकृत हैं, और तिद्तर स्थिवरकृत हैं। अतएव प्रामाण्य की हिंदि से प्रथम स्थान अंग को ही मिला है। अतएव नयी बात को भी यदि प्रामाण्य अर्पित करना हो तो उसे भी गणधरकृत बताना आवश्यक था। इसी कारण से उपांग की चर्चा को भी अंगांतर्गत कर लिया गया। यह तो प्रथम भूमिका की बात हुई। किन्तु इतने से संतोष नहीं हुआ तो बाद में दूसरी भूमिका में यह परम्परा भी चलाई गई कि अंगबाह्य भी गणधरकृत है और उसे पुराण तक बढ़ाया गया। अर्थात् जो कुछ जैन नामसे चर्चा हो उस सबको भ महावीर और उनके गणधर के साथ जोड़ने की यह प्रवृत्ति इसलिए आवश्यक थी कि यदि उसका सम्बन्ध भगवान और उनके गणधरों के साथ जोड़ा जाता है तो फिर उसके प्रामाण्य के विषय में किसी को संदेह करने का अवकाश मिलता नहीं है। इस प्रकार चारों अनुयोगों का मूल भ. महावीर के उपदेश में ही है यह एक मान्यता हढ़ हुई। इसके कारण बीसवी सदी

१ अपनाद है जहाँ भगवती के पंचम शतक के दशवें उद्देश का उल्लेख है-जंबुदीव पण्णत्ति सु० १५०। में लिखने वालों का भी यही आग्रह रहता है कि वह जो कुछ कह रहा है वह भ. महावीर के उपदेश का ही अंश है। नतोजा यह है कि साधारण मनुष्य विवेक नहीं कर सकता कि भ. महावीरने क्या कहा और क्या न कहा। यह विवेक मूलग्रन्थों के तटस्थ अभ्यास के द्वारा ही हो सकता है और इसी ओर ध्यान दिलाना ही मेरा प्रस्तुत व्याख्यान का उदेश्य मैंने माना है। और संक्षेत में यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि उनका मौलिक उपदेश क्या था। विद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे इस हिन्ट से अपने संशोधन में आगे बढे।

२ जैन दर्शनका उद्भव और विकास आगम और तर्क

प्रथम व्याख्यान में मैंने विशेषत: जैनागम की चर्चा की है, और व्याख्यान के अन्त में मौलिक उपदेश जो भ. महावीर का था उसमें क्रमशः किस प्रकार का आगमों में क्रिकास हुआ इसकी अति संक्षित रूरिखा मैंने दी है। प्रस्तुत द्वितीय व्याख्यान में विशेष रूपसे अति प्राचीन माने जाने वाले आचारांग और सूत्रकृतांग को आधार बना कर जैनदर्शन की प्राचीन-तम भूमिका क्या थी इसे थोड़ा विस्तार से दिखाने का प्रयत्न है और अन्त में उस मूल भूमिका को आधार बनाकर किस प्रकार समग्र जैन दर्शन उतरोत्तर विकसित हुआ इसकी संक्षित रूपरेखा दी है।

'आगम युगका जैनदर्शन' जो पृथक् पुस्तक रूप में मुद्रित है, मैंने न्यायावतारवृद्धि की प्रस्तावना में लिखा था किन्तु वहाँ जो कुछ लिखा गया था वह जैनागमगत जैनदर्शन के विकसित रूपको लेकर था अर्थात् आगमकालीन जैनदर्शन के द्वितीय स्तर की चर्चा थी। किन्तु प्रथम स्तर कैसा था इसका विवेचन उसमें नहीं था। अतएव यहाँ उसकी पूर्वभूमिका देने का अवसर मैंने प्रस्तुत व्याख्यान में लिया है। अतएव उसमें जैनदर्शन की जो भूमिका दी गई है उसे ध्यान में लेकर 'आगमयुग का जैनदर्शन' का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा होने पर ही जैनदर्शन के आगिमक किन्त विकास की रूपरेखा अवगत हो सकेगी।

ध्यान में रहे कि यह भी रूपरेखा ही है। इसमें विवरण का अवकाश है, किन्तुं व्याख्यान में तो रूपरेखा ही हो सकती है। विवरण तो पुस्तक का विषय होगा।

आगमकालीन जैनदर्शन की एक विशेषता स्पष्ट है कि उसमें मन्तन्य के लिए तर्क का आश्रय कम लिया गया है। अधिकांश में अप्तवचन ही प्रमाण मानकर तत्वों का और उसके स्वरूप का निर्देश किया गया है। उनकी तर्क से सिद्धि अन्यदर्शनों के संदर्भ में करने का काम आगमकाल में नहीं हुआ। वह तो दार्शनिक काल में हुआ। जैनशास्त्रों में यह काल कब से शुरू हुआ इसकी खोज की जाय तो आगमों की टीकाओं में निर्युक्ति-चूणि-भाष्यों में तार्किक चर्चा का प्रारम्भ हो गया है। किन्तु अभी तक उनका स्वतंत्र अध्ययन करना बाकी ही है। सामान्य तौर पर जैनदर्शन के इतिहास की बात आती है वहाँ सिद्धसेन, समन्तभद्र आदि से तार्किक जैनदर्शन के प्रारम्भ की चर्चा की जाती है। किन्तु यह वास्तविक नहीं है। सिद्धसेन आदि से भी पूर्व और आगम के बाद जैनदर्शन की क्या स्थिति थी इसके जानने का साधन आगमों की निर्युक्ति आदि प्राचीन टोकाएँ हैं और उनका अध्ययन अभी तक बाकी है। इसके होने पर ही जैनदर्शन के विकास को पूरा इतिहास हमारे समक्ष आ सकता है।

अन्य दर्शनों के संदर्भ में आगम में अपने तत्त्वों की चर्चा तो है किन्तु वहां इतना ही कहा गया है कि उनकी मान्यताएँ ठीक नहीं। किन्तु क्यों ठीक नहीं, उसके पाछे क्या तर्क है-इसका निर्देश नहीं। अतएव तर्कपुरःसर दार्शनिक चर्चा आगम में नहीं है और आगमके टाकाकारों और सिद्धसे। आदि ने यह स्पष्टका से की है। अतएव आगम और तार्किकों के जैनदर्शन के विवरण की मेदरेखा यही है कि एक आप्तवाक्य को प्राधान्य देता है जब कि दूसरे आप्तवचनों की यथार्थता की सिद्धि तर्क से करते हैं। इस मेदरेखाके अपवाद

भी हैं। जसे आचारांग जहाँ वनस्पतिमें जीवकी सिद्धि की गई है। और राजप्रश्नीय जहाँ जीव की सिद्धि अनेक तर्क देकर करने का प्रयस्न किया गया है। किन्तु यह विषय ऐसा है जो प्राचीन काल से तर्कका विषय बना हुआ है अतएव आगम में भी उस विषय में तर्क देखा जाय तो कोई आइचर्य नहीं।

अंगोंमें चरणानुयोग का प्राधान्य

अंग आगम द्रव्यानुयोगप्रधान नहीं हैं किन्तु चरणानुयोगप्रधान है यह मान्यता निर्युक्तिकाल तक रही है और चूर्णिओं में भी उसका समर्थन मिलता है। अतएव मौलिक अंग आगममें प्रमेयतत्वों के विषयमें विशेष विचार नहीं हुआ होगा यह मानना पड़ता है। अतएव यहां जिन दो अंग आगमों में—आचारांग और सूत्रकृतांग में जैनदर्शन की खोज की जा रही है उसमें दार्शिनक विचार खासकर द्रव्यानुयोगका विचार कम ही मिल सकता है, क्यों कि इनका विषय मुख्यहा से आचारको विश्व हो दिखाना यही है। फिर भी जो नुछ भी मिलता है उसीका संग्रह यहां करनेका प्रयत्न किया गया है।

आचारांग प्रथम श्रुतस्कंध में दर्शनका रूप

आगम के दर्शन का विचार करें तो हमें पुनः यहां भी कहना पड़ेगा कि दर्शन का प्राचीन तम रूप आचारांग अगेर सूत्रकृतांग के प्रथम श्रुतरकं को के आश्रयसे ही स्पष्ट हो सकता है। प्राचीन उपनिषदों के बादके हमारे आगम हैं यह तो निर्विवाद है। उपनिषदों में किसी एक तरवसे जगत का निर्माण है। अर्थात वहां अने क प्रकार की विचारणा हो करके यही तय पाया गया कि तस्व तो एक ही है और वह हैं आत्मा या ब्रह्म । उसीका प्रपंच यह जगत है। इसके विकद्ध जैन और बौद्ध ने तस्वों को नाना माना । बौद्धों के मतसे पंचस्कंघ और संक्षेप में कहना हो तो नाम और रूप दो तस्व फलित होते हैं। बौद्ध मतसे आत्मा या जीवस्थानीय चित्त है और उसीका नाम कहा गया है। रूपसे जड पदार्थ की सूचना मिलती है। आचा-संग में भी चित्त, चित्तमंत, जीव, आत्मा ये शब्द चेतन पदार्थ के लिए प्रयुक्त हैं। और अजीव के लिए अचित्त, अचेतन शब्द का प्रयोग हैं । किन्तु 'अजीव' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता । तात्पर्य यही है कि इस कालमें 'जीव' और 'अजीव' यह परिभाषा स्थिर नहीं हुई है। जीवके लिए भी प्राण, भूत और सत्व ये शब्द भी प्रयुक्त हैं जो कालक्रमसे छोड़ दिये गये। क्योंकि जीवके प्राण होते हैं और भूत से तो जड पदार्थ लोगमें समझा जाने लगा था। सत्व भी निश्चित अभिपेत अर्थ देने में समर्थ नहीं था। अतएव जब तत्त्व या पदार्थ की गणना का प्रश्न आया वहां जीव और अजीव ये शब्द ही कालक्रममें अपनाया गया।

ं आतम के लक्षण में कहा गया है—''जे आता से विण्णाता, जे विण्णाता से आता, जेण विज्ञाणित से आता⁸—आचा० १७१। इसके बादके सभी प्रन्थों में इसके स्थान में 'उपयोग' को जीव का लक्षण कहा गया है। यह प्रगति का सूचक है। क्योंकि ज्ञान और दर्शन दोनोंका समावेश जीवलक्षणमें करना अभिषेत हो गया था।

१ सूत्रकृत् चूर्णि पृ०३ । आवश्यक्रति.मू. भाष्यगाथा १२४, नि.गा. ७७७ (हा०) ।

२ आचारांग की निर्युक्ति में वेद संज्ञा दी गई है। आचा० नि० गा०११।

३ आयारंगसुत्तं (महा०वि॰) गत शब्दसूची देखें ।

४ यह विचार भी उपनिषद के अनुकूल है जहाँ विज्ञानमय आत्मा माना गया है । उप निषद्राक्य महाकोष ए० ५७० ।

जीवका अस्तित्व क्यों माना जाय इसकी चर्चा आचारांगमें नहीं है ! किन्तु वनस्पति जीव है इस के लिए युक्ति देनेका प्रयस्न किया गया है । उससे यह मि विद्ध होता है कि जीवका अस्तित्व किस आधार पर माना जा सकता है । आचारांगमें कहा है कि जिस प्रकार यह अर्थात् प्रत्यक्ष ऐसा मनुष्य शरीर जन्म लेता है, बुद्धि प्राप्त करता है, सचित्त है, छिन्न होने पर फिर घाव भर जाता है और आहार लेता है—उसी प्रकार वह=वनस्पति भी जन्म आदि को प्राप्त है । अतएव वह भी जीव है ।

पृथ्वी आदि जीव यद्यपि चक्षुरादिविहीन हैं फिर भी उनमें वेदना होती है । जिस प्रकार अन्ध पुरुष में उसके विविध अंगों का छेदन मेदन होने से वेदना होती है । ऐसी भी एक दलील स्थावर जीवों में चैतन्य के लिए दी गई है ।

परिग्रहकी चर्चा के प्रसंग में समग्र परिग्रहका जो विभाजन किया गया वह है-''से अप्पं वा बं वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा' आचा० १५४। इससे भी स्पष्ट है कि सचित्त और अचित्त यही विभाजन पदार्थों का है। और यदि इस विभाजनगत 'चित्त' की अपेक्षा न की जाय तो स्थूल और अणु में समग्र पदार्थ विभक्त हैं।

जीवके भेटों में पृथ्वी, उदक, अग्नि, वनस्पति, असर (त्रसके भेटों में अण्डज आदिका उत्लेख है) और वायुं का उत्लेख है और इन सबकी सामान्य संज्ञा है-षड्जीवनिकाय । आचारांग में जीवके स्थावर और त्रम ये भेट हैं अोर स्पष्टरूपसे कहा है कि ये पृथ्वी आदि चित्तमंत हैं अर्थात् सजीव हैं—

"पुढविं च आउकायं च तेउकायं च वायुकायं च । पणगाइं बीयहरियाइ तसकायं च सब्वसो णचा ॥ एताइं संति पडिलेहे चित्तमंताइं से अभिण्णाय । परिवृज्जियाण विहरित्था इति संखाए से महावीरे ॥" आचा० २६५-२६६ ॥

पुनर्जन्मकी प्रक्रिया सुकृत-दुष्कृत के अनुसार ही होती है यह जैनदर्शन का सिद्धान्त भी आचागंग की निम्न गाथा से स्पष्ट होता है। अर्थात् ही नियतिवादी की तरह यह नहीं माना की पुनर्जन्म का क्रम जीवों के विकसित स्वरूप के क्रमको लेकर नियत है। वह तो बीवों के कर्मानुसारी होता है। मनुष्यजन्म पाकर भी उससे नोची योनि में जा सकता है और ऊँची योनि में भी। गाथा है-

४. आचा॰ १२ ।

५. आचा० २३ ।

६. आचा० ३४ ।

७. आचा० ४२ ।

८. आचा०४९ ।

९. आचा०५७ |

१०. आचा॰६२ ।

११. आचा०२६७ ।

१ आचा० ४५।

२ आचा० चूर्णि में इसका उत्थान है ''लक्खणावसिद्धत्थं भण्णति-'इमं पि जाइधम्मं, इमं ति मण्हनसरीरं''---पृ० ३४-२५।

३ आचा० १५ । आचा० चूर्णिमें हिस्रा है कि ''जेण पस्संति ण सुर्णित तेसि कहं वेदणा उप्यज्जइ १ से बेमि...''पृ० २३ ।

"अदु थावरा य तसत्ताए तसजीवा य थावरत्ताए अदु वा सञ्वजीणिया सत्ता कम्मुणा किपया पुढो बाला ॥'' आचा० २६७

'संसारमें जन्म और मृत्यु की परंपरा है और जीव नाना दिशाओं से आकर जन्म धारण करता है और मृत्यु के बाद नाना दिशाओं में जाता है। कर्म के कारण ही जीव का परिभ्रमण होता है अतएव कर्म समारंभ का परित्याग करना जरूरी—है इस बातको जो मानता है वही आत्मवादी है, लोकवादी है, कर्मवादी है और कियावादी है' यह स्पष्टीकरण आचारांग के प्रारंभ में ही किया गया है। इस स्पष्टीकरणके आधार परसे ही लोक, पुनर्जन्म, संसार, मोक्ष, जीवकी नाना देशोंमें गति होने से उसकी व्यापकता का अभाव अर्थात् ही देहपरिमाण आत्मा, किया-कर्म का सिद्धान्त ये मन्तव्य स्थिर करने में सुविधा हुई है।

समग्र आचारांग में अनेक बार 'लोक' शब्द प्रयुक्त हुआ है, किन्तु प्रायः उसका अर्थ जीवसमूह हो लिया गया हैं । किन्तु आगे चलकर इस लोक की व्याख्या प्रधानका से क्षेत्रपरक हो गई हैं। कमरिहित आत्मा की स्थिति कैसी हो इसका प्रतिपादन इन शब्दों में है-अप्तिबंद सरा नियद्देति, तका जस्य ण विज्जति, मती तस्य ण गाहिया, ओए अप्पतिद्वाजस्स खेलाणे। से ण दीहे, ण हस्से, ण वहे, ण तंसे, ण चतुरंसे, ण परिमंडले, ण किण्हे, ण णीले, ण लोहिते, ण हालिहे, ण सुक्किले, ण सुरिमगंधे, ण दुरिमगंधे, ण तिले, ण कडुए, ण कसाए, ण अंबिले, ण महुरे, ण कक्लबे, ण मडए, ण गुरुए, ण लहुए,ण सीए, ण उण्हे, ण णिद्ध, ण लक्कि, ण काऊ, ण रहे, ण संगे, ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अण्णहा, परिण्णे सण्णे उवमा ण विज्जति, अख्वी सत्ता, अपयस्स पयं णित्थ। से ण सहे, ण रूवे, ण गंधे, ण रसे, ण फासे, इन्चेताबन्ति।"—आचा० १७६।

यह वर्णन उपनिषदों के ब्रह्मकी याद दिलाता है जहां नेति नेति करके उसकी पहचान की गई है। किन्तु यहाँ एक और बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। ये दीर्घ, हस्ब, रूस आदि जिनका निषेध किया गया है वे अचेतन या अजीव अर्थात् जड़ पदार्थ के लक्षण हैं। किन्तु समग्र आचारांग में रूप-रसादि युक्त जो पदार्थ है वह पुद्गल है ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। पुद्गल शब्द का हो प्रभेग कहीं नहीं हुआ है। एक और बातकी ओर भी ध्यान देना जरूरी हैं।

प्रस्तुत सूत्र १७६ से जोवके अतिरिक्त अजीव=भिचित्त पदार्थ की जानकारी फलित होता है वह इस प्रकार-अर्थात् ही अचित्त जो है वह 'शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श है; और उनके भेद भी गिना दिये गये हैं, वे हैं रूपके कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र और शुक्ल; गन्धके सुर्ग और दुर्गिगन्ब; रसके-तिकत, कटु, कषाय, अम्ल और प्रधुर; स्पर्श के-कर्कश,

१ आचारांग को निर्युक्ति में मोक्षोपाय बतानेवाल। प्रन्थ कहा गया है-आचा० नि०९।

२. 'अट्टे होए' आचा**० १०** ।

३. कहीं कहीं लोक अर्थात् क्षेत्रलोक भी अभिप्रेत हैं — आचा० १३६।

४. "यतो वाचो निवर्तन्ते" इत्यादि-उगनिषद्वाक्य-महाकोष ।

५ आचा० पृ०४०६ में देखें इस पर टिप्पण ।

इ. यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यह भाषा बौद्ध में भी प्रयुक्त हैं जहाँ 'रूपवत्'न कह कर 'रूप' कहा जाता है ।

मृदु, गुरु, लघु, श्रीत, उष्णा, स्निग्ध और रूक्ष; और संस्थान के दीर्घ, ह्रस्व, वृत्त, त्र्यश्र, चतुरश्र और परिमंडले।

यहाँ भ्यान देनेकी बात यह हैं कि शब्द को वैशेषिक सूत्र १.१.५ में गुण नहीं कहा हैं, किन्तु आगे चलकर उसे २. १, २० में आकाशका लिंग कहा है। किन्तु वैशेषिकसूत्र के ब्याख्याकारोंने शब्द को भी गुण मान लिया है। न्यायसृत्र १.१.१३ में शब्द को गुण माना ही है।

सांख्योंने शब्द को श्रोत्रका विषय तो माना साथ ही कर्मेन्द्रियों में वाक् को स्वतंत्र इन्द्रिय मान कर वचन को उसका व्यापार माना । सांख्यकारिका—२६, २८ ।

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि आचा • च्०पृ० १९९ में हस्व-दीघं को संस्थान माना है किन्तु उत्तराध्ययन में पुद्र छपरिणामों की चर्चा के प्रसंगमें - (३६. १५. -२१) संस्थान में हस्व-दीघं की गिनती नहीं की गई | किन्तु स्थानांग के प्रारंभमें एक - एक की गिनतीमें दीर्घ - हस्य गिनाये गये हैं | और उसका स्थान आचारांग की ही तरह वृत्त के पूर्व में हैं |

जब जीवकी गिति मानी गई तब उसे व्यापक तो माना नहीं जा सकता था अतएव स्पष्ट रूपसे कालक्रमसे देहपरिमाण माना गया । और मुक्तिस्थान में उसकी जब गित मानी गई तब प्रश्न हुआ कि सिद्धावस्था में उसका परिमाण क्या हा ? इस प्रश्न का उत्तर आगे चलकर अन्य आगमों में दिया गया कि अंतिम शरीर ३/४ पिरमाण होगा ऐसी स्थितिमें यहाँ जो कहा गया कि वह न दीर्घ है, न हस्व इसका विसंवाद होता है। स्पष्ट है कि यहां जो वर्णन है वह उपनिषदों का अनुसरण करता है । उससे जो सिद्धांत स्थिर होने चाहिए वैसे करने में जैनदार्शनिको के समक्ष दिकतें थी। अतएव इसकी आंशिक उपेक्षाके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इतना ध्यान में रहे कि आचारांग में कहीं भी उसे देहपरिमाण नहीं कहा गया। वह मृत्यु के समय गमन से फलित सिद्धान्त है।

अहिंसाकी चर्चाके प्रसंग में ये वाक्य हैं, -''तुमं सि नाम तं चेव जं हंतव्वं ति मण्णसि,... अवजावेतव्वं ति मण्णसि...' इत्यादि, आचा० १७० । इस विचार में भी उपनिषद् के मन्तव्य की छाप स्पष्ट है। यदि आत्मा नाना है तो मारने वाला और मार खानेवाला भिन्न है किन्तु जहाँ आत्मा एक:ही हो वहाँ हिंसक और हिंस्य एक हो होता है। जैन धर्म और दर्शन में नानाआत्मवाद स्थिर हुआ है अतएव आचारांग के ये वाक्य जैन दर्शन केअनुकूल नहीं है। आचारांग में 'छजीवणिकाय' की चर्चा है जो सूचित करता है कि एकारमवाद

१. आचा॰ चू॰ पृ॰ १९९ ।

२. आचा० १, १२३, १६९, १७६। इन सूत्रों की चूर्णि भी देखें ।

इ. भगवई १. ७. ५७, उत्त० ३६. ५१, ५७, ६५।

४. ओववाइय सुत्तगत अंतिम गाथाओं में गाथा नै ४ ।

५. यहाँ के तात्विक आत्माके वर्णनमें से आ०कुन्दकुन्द ने 'न हस्व, न दीर्घ' को हटा दिया है इस पर ध्यान दें-प्रवचनसार २. ८० ।

६. आगे चलकर दार्शनिकों ने ज्ञान की अपेक्षा से और केवलि समुद्घात की अपेक्षा से आत्मा को व्यापक सिद्ध करनेका प्रयश्न किया ही है। प्रज्ञापना सृ० २१६८-३२,प्रवचनसार १.२३,२६, आगमयुगका जैनदर्शन पृ०२४९।

७, आचारांग ६२।

के स्थान में नानात्मवाद स्थिर हो गया है।

एक और राब्द भी पूर्वपरम्परा के अनुसार प्रयुक्त हुआ है-वह है-'खेत्तणा' आचा० ३२, ७९, १०४। इसका अर्थ चूर्णि में दिया है-पंडित (१०७०) और ज्ञायक (जाणओ) (१०१००)। 'आगासं खित्तं जाणतीति खेत्तण्णो' 'अमुत्ताणि खित्तं च...जाणइ.... पंडितो वा' यह अर्थ क्षेत्रज्ञका भी किया गया है-आचा० चू० १०१३४। उपनिषदों में यह राब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त है। गीता भी इसका समर्थन करती है। पालि में इस अर्थ में यह राब्द प्रयुक्त नहीं देखा गया। देखें पालिकोष।

"जे अणणादंसी से अणणारंभे, जे अणणारंभे से अणणादंसी" आचा० १०१। यह पढ़ते ही उपनिषद के अनन्य—अद्वैतविषयक मन्तव्य की याद आना स्वाभाविक है ै। किन्तु यहाँ चूणि में इसका जो अर्थ किया गया है वह विचित्र है और स्पष्ट है कि चूणिकार इसका अद्वैतरक अर्थ करें वह उस काल में संभव नहीं रहा था। जैन दर्शन उस काल तक अपना व्यवस्थित रूप ले चुका था। अत्र व उनके लिए स्वाभाविक था कि वे किमी तरह भी इसका अर्थ तत्कालीन जैन मान्यता के अनुकूल करें। अत्र च इसका अर्थ किया है कि अन्य हिए च अन्य हि च अन्य हि का परिवर्जन करने वाला होता है। वह केवल जैन हिए को ही तात्विक मानता है। ऐनी व्यक्ति अन्य में रमण नहीं करती—आचा० चू० पृ० ९६। यहां शीलांकने भी ऐसा ही अर्थ किया—है आचा० टी० पृ० १४५।

आचारांग में प्रमाण या ज्ञान की चर्चा कैसी है यह भी देख कें जिससे प्रमाण और प्रमेय की व्यवस्था जो आगे चल कर हुई है उसके पूर्वरूप का स्पष्टोंकरण हो जाय। आचारांग में (१३३) हन्ट, श्रुत, मत और विज्ञात ये शब्द हैं—ज्ञान के विषय में। इससे इतना ही फिलत होता है कि इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान को हन्ट कहा, किन्तु श्लोत्रेन्द्रिय द्वारा होने वाले ज्ञान को पृथक किया गया-वह है श्रुत और मन से होनेवाले ज्ञान को 'मत' कहा गया और विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान से फिलत किया जा सकता है। तत्त्वार्थ और अन्य आगम प्रन्थों में जो पाँच प्रकार के मित आदि ज्ञानों का निर्देश है उसका मूल यहाँ है, किन्तु परिभाषा या पारिभाषिक शब्द अभी निश्चित नहीं हुए। अवधि, मनःपर्याय या केवल ये शब्द अभी प्रयुक्त नहीं-यह सूचित करता है कि अभी पारिभाषिक शब्दों का रूप स्थिर नहीं हुआ।

इन्द्रियों से होनेवाले ज्ञानों को 'प्रज्ञान' कहा है-"जाव सोतपण्याणा अपरिहीणा जाव णेत्त-पण्याणा आरिहीणा...पायपण्याणा...जीहपण्याणा...जाव फासपण्याणा अपरिहीणा, इच्चेतेहिं विरूवरूवेहिं पण्याणेहिं" आचा० ६८³। इससे फलित होता है कि यहाँ "प्रज्ञान" शब्द

१. यहाँ भी यह ब्याख्या की जा सकती है और आगे चल कर की गई है कि अन्य की हिंसा हो या न हो हिंसा के अवसर में अपनी हिंसा तो होती ही है । अतएव इस दृष्टि से इसका समाधान किया जा सकता है । विवरण के लिए देखें मेरा लेख 'संबोधि' २. १, पृ. १-६।

२. उपनिषद्वाक्य-महाकोष, पृ०३१ ।

३. आचा० ६४।

'प्रज्ञा' की अपेक्षा संकुचित अर्थ में प्रयुक्त है। या यों कहें कि सामान्य ज्ञान अर्थ में प्रयुक्त है। बौद्धपरिभाषा में लौकिक और लोकोत्तर प्रज्ञा की चर्चा है'। उसे देखते हुए यहाँ लौकिक प्रज्ञाके अर्थ में 'सोतपण्णाणा' को समझना चाहिए। और लोकोत्तर प्रज्ञा के अर्थ में भी प्रज्ञान शब्द प्रयुक्त हुआ ही हैं-किन्तु विशेषण के साथ-''सव्वसमागतपण्णाण'' (आचा॰६२, १६०, २१५) और बिना विशेषण के भी प्रयुक्त है (आचा॰ १६६, १७७)। कौषी-तिकब्राह्मणोपनिषद् में जो यह कहा 'प्रज्ञया श्रोत्रं समारुह्य' (३.६) इत्यादि, उसकी तुलना आचारांग के 'सोतपण्णाण' से करने जैसी है। उपनिषदों में तो 'प्रज्ञान' को ब्रह्म कहा है- देखें, उपनिषद्वाक्यमहाकोष।

अभी 'तीर्थंकर' शब्द का प्रयोग प्रचलित नहीं हुआ है और नहीं उनके विशेष ज्ञानको 'केवलज्ञान' कहा गया है। उनके 'सर्वज्ञ' और 'सर्वदर्शी' विशेषण जो बाद के आगमों में निश्चित हो गये हैं उनका प्रयोग भी यहाँ नहीं है। भ. महावीर के विशेषणों की विस्तृत चर्चा मैंने अन्यत्र की है अतएव यहाँ विस्तार करना अनावश्यक है। किन्तु केवलज्ञान की भूमिका खड़ी करने वाले कुछ विशेषण जो प्रयुक्त हुए हैं उनका निर्देश करके संतोष लेता हूँ —'बुद्ध', 'आययच-क्खू', 'लोगविपस्सी', 'परमचक्खू', 'नाणवं', 'वेयवं', 'परनाणेहिं परिजाणइ लोगं', 'सब्बसमन्नागय-परनाण, 'अनेलिसन्नाणी' 'तहागय' 'माहण' और 'वेयवी'। यहाँ ध्यान देने योग्य शब्द 'वेदविद' है जो सिद्ध करता है कि उस काल में बेद की प्रतिष्ठा होने से उसके ज्ञान की भी प्रतिष्ठा मानी जाती थी। यहाँ 'बुद्ध' शब्द भी है जो आगे चल कर भ. गौतम बुद्ध के लिये प्रयुक्त है। यथार्थ जानने-वाले को तथागत माना जाता था जो भ. बुद्ध का विशेषण हो गया है। 'माहण'-ब्राह्मण भी प्रतिष्ठास्त्वक है।

'दर्शन' शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है। उसका भी सम्बन्ध 'दृष्ट' के साथ जोड़ना या स्वतन्त्र रखना यह समस्या है क्यों कि 'पासगस्स दंसण'(१२८) 'कोहदंसी' (१३०) इत्यादि प्रयोग भी मिलते हैं। जिनके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि ये ज्ञान इन्द्रियाधीन थे। अतएव मित आदि ज्ञान से पृथक् दर्शन का स्वीकार आगे चलकर हुआ।

पदार्थों की जो गिनती सात या नव आगे चलकर देखी जाती है उनमें से जीब-अर्जीव की कल्पना तो स्पष्टरूप से आचारांग में हैं। पुण्य और पाप का निर्देश मिलता है। कर्मास्रव का भी निर्देश है। निर्जरा और मोक्ष का भी प्रयोग मिलता है। किन्तु संवर शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। कहीं भी इन तत्त्वों की एक साथ गीनती भी नहीं मिलती स्पष्ट है कि सात या नव तत्त्वों के गिनने का प्रधात अभी शुरू नहीं हुआ था।

जैनदर्शन में पदार्थ, अस्तिकाय, द्रव्य—ये शब्द जैनसंमत तत्त्वों के लिए प्रचलित हुए हैं। आचारांग में इनमें से 'दिनेय' (द्रव्य) का प्रयोग मिलता है किन्तु पारिभाषिक अर्थ में नहीं—आ० चू० पृ० १५०। 'अर्थ' शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है किन्तु 'पदार्थ' के समीप अर्थ में प्रयुक्त 'अर्थ' शब्द एक बार ही प्राप्त होता है — आचा० १२४।

१. देखें पालिडिक्शनरी में पञ्ज और पञ्जा।

२. 'आकेवलिएहिं' शब्द का प्रयोग एक बार मिलता है। आचा० १८३।

३. 'संप्रसाद' पृ०१३६-१४८ श्री चतुर्भु ज पुजारा मंत्रविद्योत्कर्ष ट्रस्ट, अहमदाबाद, १९७७, और अखिल भारतीय प्राच्य विद्या परिषद् की कार्यवाही १९७२, पृ०२४७ में इसी विषयका मेरा लेखा ।

आगे चलकर द्रव्य-गुण-पर्याय ये पारिभाषिक शब्द जैनदर्शन में प्रचलित हुए। इनमें से 'गुण' शब्दका प्रयोग आचारांग में (३३, ४१,६३, १६३) मिलता है। एक स्थान में 'गुण' का सम्बन्ध चूर्णिके अनुसार 'रंधण-प्रयण-प्रगासण' आदि से हैं (पृ०३०), तो दूसरे स्थान में 'गुण'शब्द का सम्बन्ध 'सहादि विसय' (पृ०३२) से हैं। यह दूसरा अर्थ 'गुण' की परिभाषा के साथ मेल खाता है। और यहां अर्थ अन्यत्र 'सहादिसु गुणेसु' (पृ०४९) कह कर स्वीकृत हुआ है। अन्यत्र 'गुणा नाणादि' (पृ०१८४) अर्थ किया है। अतएव हम कह सकते हैं कि चेतन द्रव्य के ज्ञानादि गुण और अचेतन द्रव्य के शब्दादि गुण आचारांग में अभिप्रेत हैं। इतना होने पर भी समग्रहा से गुण पदार्थ की स्वतंत्र चर्चा नहीं हुई यह कहा जा सकता है। यह प्रक्रिया अगले स्तर में ग्रह हुई है।

'यज्ञवजात' (आचा० १०९) में स्पष्टरूप से पर्याय का उल्लेख है और यहाँ वही पर्याय से अभियेत है जो परिणाम से सूचित होता है (आचा० चू० पृ०१०९)। समग्र आचारांग में यह शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है-उससे सूचित होता है कि अभी स्पष्टरूप से वह पारिभाषिक नहीं बना है।

आचारांग का यह सूत्र विशेष ध्यान देने योग्य है- "इहमेगेसि आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति । ते इह आरंभट्टा अणुनयमाणा हण पाणे घातमाणा, हणतो यावि समणुनाणमाणा, अदुवा अदिन्नमाइयंति, अदुवा वायाओ विउंजंति, तं जहा अत्थि लोए, णत्थि लोए, धुवे लोए, अधुवे लोए, सादिए लाए, अणादिए लोए, सपज्जवसिए लोए, अपज्वसिए लोए, सुकडे ति वा कुछाणे ति वा पावए ति वा साधू ति वा, असाधू ति वा सिद्धी ति वा असिद्धी ति वा निरए ति वा अनिरए ति वा। जिमणं विष्यडिवण्णा मामगं घम्मं पण्णवेमाणा।" आचा०२०० व

इस सूत्र में अनेकान्त के बीज देखे जा सकते हैं। यहाँ पर इन विविध मतों को परस्पर विरोधी बताये गये हैं। किन्तु जैन मन्तव्य स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन भगवतीस्त्र में इन विषयों का अनेकान्त दृष्टि से निरूपण किया है, कि लोक ध्रुव भी है और अध्रुव भी, सादि भी है और अनादि भी, सान्त भी है और अनादि भी, सान्त भी है और अनन्त भी है।

इस सूची में लोक, सुकृत-दु॰कृतः कल्याण-पाप, साधु-असाधु, सिद्धि-असिद्धि और नरकः अनरक का निर्देश है किन्तु इस स्चि का विस्तार हमें सूत्रकृतांग २.५ में मिलता है।

आचारांग में आरमा के विषय में परिणामवाद स्वीकृत है इसकी प्रतीति तो १-३ सूत्रों से होती ही है। जहाँ परिणतजीव के अनेक जन्मों की बात कहीं गई है और इसकी पुष्टि द्वितीय श्रुतस्कंघ से होती है। जहां परिणत और अपरिणत पानक की चर्चा है-आचा०३६९। और भी देखें-असत्थपरिणत आचा० ३७५-३७९, ३८२, ३८४-३८८।

आचारांग की निर्युक्ति में स्पष्ट कहा गया है कि-

१. यहाँ हिंसा, चोरी और मृषाबाद-यह क्रम ध्यान देने योग्य है। बौद्धों में भी यही क्रम है।

२. तुलना सुत्रकृ० ८०, ८१, । सूत्रकृ० चृर्णि-पृ०४६, प्राकृत परिषद् ।

३. इसकी चूर्णि पृ०२५१ ।

४. विशेष विवरण के लिए देखें - 'आगम युगका जैनदर्शन' ।

''आयारो अंगाणं पढमं अंगं दुवालसण्हं पि ।

इत्थ य मोक्खोवाओ एस य सारो पवयणस्स ।।" आचा. नि० ९ । इससे स्पष्ट है कि 'आचार' ही प्रवचन का सार है और वहीं 'मोक्षोपाय' है। क्यों कि आचार से ही मुक्ति-मोक्ष है। अतएव देखना यह है कि आचारांग में मोक्ष की कल्पना कैसी की गई है। पूर्व में उद्भृत आचा०२०० में सिद्धि शब्द का प्रयोग है' अतएव यह विदित होता है कि तीर्थिकों में सिद्धि विषयक कल्पनाएँ थी। किन्तु जैनों ने अपने ढंग से इस विषय में क्या माना यह उस सूत्र से ज्ञात नहीं होता। अतएव आचारांग में सिद्धि के विषय में अन्यत्र क्या कहा गया यह जानना जरूरी है।

सिद्धि (२००), निर्वाण (१९६), निरोध (२४७), मुक्त (९९, १६१, १८८), मुक्ति (१७७), मोक्ष (७३, १०४, १५५, १७८), परिनिर्वाण (४९) परिनिर्वृत (१९७), पारग (२३०) पारगामि (७१), पारगम (१९८) जैसे शब्द मोक्षस् नक हैं, इसमें तो संदेह नहीं किन्तु मोक्ष का स्वरूप कैसा और उसके उपाय क्या इसका विवरण उन शब्दों के प्रयोग के सन्दर्भ से ही ज्ञात हो सकता है। सामान्य तौर पर यह तो ज्ञात हो सकता है कि आचार अर्थात् किसका निरूपण आचारांग में है-वह मोक्ष का उपाय है जैसा कि निर्युक्ति आदि में कहा गया है। किन्तु विशेष रूप से उपाय क्या अभिमत है- इसका जानना जरूरी है।

आचारांग (९१, १०३) में कहा है, ''एस वीरे' पसंसिए जे बद्धे पडिमोयए''। स्पष्ट है कि मुक्ति या मोक्ष का ताल्पर्य बन्धन से मुक्ति पाना-यह है। अतएव जो दूसरों को मुक्ति दिलाता है वह बीर प्रशंसाके पात्र हैं। चूर्णि (पु०८४) में स्वष्टीकरण है कि बंध क्या है-''दब्बबंधो पुत्रकलत्रमित्रहरण्यादीणि, भःवे विसयकमायादी । जो एएणं बंधेण अप्पाणं मोएत्ता परा मोएति'' स्पष्ट है कि पुत्रादिरूप बाह्य और विषय-कषायरूप आंतरिक बन्धनों से मुक्ति पाना मोक्ष है। मोक्ष की यह कल्पना साधारण है-जैनसंमत मोक्ष की कोई नई परिभाषा नहीं है। किन्तु अन्यत्र चर्णिमें व्याख्या हैं-"आठ कर्मों से जो मुक्ति दिलावे वह बीर है" (पृ०९९) | यह जैन परिभाषा है। आचारांग (१०४)में यह बाक्य भी ध्यान देने योग्य है, जहाँ यह भी स्पष्ट है कि मेधावी पुरूष अपने बन्धन से मोक्ष का अन्वेषो है - 'से मेधावी जे अणुरक्षातणस्स खेत्तण्गो जे य³ बंधामोक्चमण्णेसी'' । किन्तु उसके बाद यह वाक्य पुण णो ब द्धे णो मुक्के'' थोडा विचित्र है'। क्या 'कुशल' से यहाँ वैदिकों के ईश्वर या ब्रह्म

१. आचा० द्वि० श्रुतस्कंघ में सिद्धि के पर्याय हैं—''सिज्झिस्संति, बुज्झिस्संति, मुञ्चिस्संति, परिणिन्वाइस्संति, सन्वदुक्खाणं अंतं करिस्संति'' ७४५। और ८०२-८०४ में भी 'अन्तकृत' =िसद्धि के लक्षण देखें— जहाँ निरालम्बन और अपितिष्ठित, बन्धनहीन तथा कलंकलीभावप्रपञ्च से मुक्त कहा है।

२ "विदारयित तत्कर्म तपसा च विराजते । तपोवीर्येण युक्तश्च, वीरो वीरेण दर्शित: ॥" आचा ० च्० ए०९३१।

३.और भी आचारांग १५५।

४. देखें "न बद्धोऽस्मि न मुक्तोऽस्मि ब्रह्मैवाऽस्मि" अन्नपूर्णोपनिषद् ५.६८ ।

अभिप्रेत तो नहीं ? जो भी हो किन्तु चूर्णिकार ने किसी भी तरह जैन के अनुकूल इसकी व्याख्या की है कि यहाँ तीर्थंकर केवली 'कुशल' पद से अभिप्रेत है और वह चार घाती कर्म की मुक्ति के कारण बद्ध नहीं और भवोषयाही कर्म से बद्ध होने से मुक्त नहीं—पृ०१०० । किन्तु आचारांगमें जब यह वाक्य लिखा गया है तब आठ कर्मी की व्यवस्था जो बाद में देखी जाती है वह व्यवस्थित हुई थी या नहीं यह एक प्रश्न है।

भगवान महावीर ने जो मार्ग बताया उसकी विशेषता यह है कि भिक्षु परिग्रह से विरत रहे | जो भी अरने पास आवश्यक परिग्रह हो उसमें भी ममतत्र न रखे जिनका परिणाम होगा कि वह कहीं भी लिस नहीं होगा , बन्धन में भो नहीं पड़ेगा । बन्धन क्या है इसकी स्पष्टता की गई है ''रूवेहिं सत्ता कलुगं यणित , जिदाणतों ते ण लभेति मोक्खं ।'' १७८ । अर्थात् ही रूप में आतिकत के कारण निदान=चन्धन होने से मोक्ष मिलता नहीं । अन्यत्र 'पापमोक्ष' निर्दिष्ट है— ७३ । इससे स्पष्ट होता है कि 'पाप' बन्धन है जिससे मुकत होना जरूरी है । 'पाप' और 'पापकमें' का उल्लेख तो आचागंग में अनेक स्थान में है। यह भी कल्पना सर्वसाबारण है । किन्दु 'कमेशरीर' से मुक्ति की बात जैन परिभाषा में कहीं गई है, ऐसा माना जा सकता है —''मुणी मोणं समादाय धुणे कम्मसरीरगं '' ९९ । काय के निराकरण से मुनि पारगामी होता है— ऐसा भी कहा है- १९८ । जो पारगामी हैं वे विमुक्त हैं—७१ । अर्थात् ही जिन्होंने सांसारिक बन्धनों को तोड़ दिया है, वे संसारसमुद्र के पारगामी हैं— विमुक्त हैं । मुक्त जीव की क्या परिस्थित होगी यह— ''आगतिं—गतिं परिण्णाय अच्चेति जातिमरणस्स वडुमगं वक्लातरते'' (१७६)' इन वाहय से स्पष्ट है कि मुक्त होने के बाद जन्म—मरण के फेरे समास हो जाते हैं । मुक्त आत्मा का स्वरूग विषयक अवतरण इतः पूर्व दिया गया है । विशेष में यह भी स्पष्ट है कि वहाँ जब जाति न्मरण है नहीं तो दुःख भी नहीं है— ७,१३,२४ इत्यादि ।

मुक्ति का अर्थात् जन्ममरण के निवारण का और दुःख , के प्रतिघात का कारण अहिंसा है-इस बात को आरंमिने हित्तचिंद्रियानि हृत्ति का उपदेश देकर बार बार दोहराया है-आवा० ७, १३ २४, ३५, ४३, ५१ और ५८।

मुक्तिमार्ग की चर्चा के प्रसंग में आचारांग का यह वाक्य ध्यान में लेना जरूरी है "से किट्टित तेसिं समुद्धितांण निक्षित्तदंडाणं समाहितांण पण्णाणमंतांणं इह मुक्तिमगां"आचा १७७। इस सूत्र में निक्षित्तदंड=अहिंसा, समाहि=समाधि और पण्णाण=प्रज्ञा की ओर संकेत है। बौद्धों में शील, समाधि और प्रज्ञा को निर्वाण का मार्ग बताया जाता है। उसी का पूर्व रूप यह है। किन्तु जैन दर्शन में आगे चलकर दर्शन, ज्ञान, चिरत्र को मोक्ष मार्ग बताया गया उसमें चारित्र=शील को अन्तिम स्थान दिया है और यहां बौद्धों की ही तरह शील को प्रथम स्थान मिला हैं यह ध्यान में रखने की बात है। स्वष्ट है कि जैनों ने आगे चलकर प्रज्ञा= ज्ञान को नहीं, चारित्र को विशेष महत्त्व दिया।

चूर्णि (पृ०२३७) में आचा० १९६गत निर्वाणन्याख्या में लोभादि के उपशम से निर्वाण होता है यह कहा है। यह प्राचीन परिभाषा है। बाद में तो उपशम और क्षय ऐसे

⁻१. आचा०८८-८९ । अन्यत्र परिग्रह को महाभय कहा **है । आ**चा० १५४ **।**

२. और भी देखें 'जातिमरणमोयणाए'' ७,१६,२४ ३५, ४३,५१, ५८।

भेद करके लोभादि के क्षय से निर्वाण होता है यह स्वष्ट किया गया है । बौद्धों में भी श्राय के लिए उपराम शब्द का प्रयोग होता है।

'निरोध' शब्द का प्रयोग 'सब्वगायनिरोध' (२४७) इस प्रकार से हैं । यह प्रसंग मारणां-तिक संकेखना का है जिसमें यह कहा है कि कितना भी उत्ताप हो यावत् सब गात्र का निरोध का प्रसंग भी आवे तब भी अविचल रहे—आचा० चू०ए० २९४ ।

आना का आठवाँ अध्ययन 'विमोक्ष' नामक है। इस 'विमोक्ष' की व्याख्या प्रसंग में नियुं कित (गा॰२६०) और चूर्णिकार (पृ०२४६) ने 'देशविमोक्ष' और 'सर्वविमोक्ष' की चर्चा की है, तरतमभाव से कथाय से छूटना देशविमोक्ष और सर्वथा कथाय से मुक्त होना सर्वविमोक्ष है। सिद्धों को सर्वविमोक्ष है और आवक और साधुओं में देशविमोक्ष है। कर्म से आत्माका जो संयाग है वह बंध है और उससे वियोग=छुटकारा मोक्ष है न इस बात को नियुंकित (२६१) में स्पष्ट रूप से कहा है।

इस 'विमोक्ष' अध्ययन में मारणांतिक संकेखना करनेवाले को किस प्रकारकी आपत्तियां आती हैं और उसे उन आपत्तिओं का समभाव से किस प्रकार सहन करना जरूरी है यह बताना अभिनेत हैं। और यह संकेखना मोक्षोपाय होने से विमोक्ष है यह निर्युक्ति में स्पष्ट- हा से कहा गया है और चूर्णिमें (पृ० २४६-७) उसका समर्थन है-

भत्तपरिन्ना इंगिणि पायवगमणं च होइ नायव्वं ।

जो मरइ चरिममरणं भावविमुक्खं वियाणाहि ॥" आचा० नि० २६३ । आचा० ९९, १६१ और १८८ में सम्यक्तवद्शीं और विरत मुनि को 'मुक्त' संज्ञा दी है । वह मुनि अपने आहार में ल्खा सूखा लेता है, अत्यंत कुश हो जाता है और कुशं को सहन कर संसार को पार कर जाता है। और कुमें शरीर का परित्याग करता है।

इस सब चर्चासे इतना तो स्पष्ट है कि दर्शन—ज्ञान—चारित्र को तत्त्वार्थसृत्र में जो मोक्षमार्ग कहा वह आचारांग की चर्चा के सारांश को ध्यान में रख कर है। साथ में यह भी देखना जरूरी है कि कहीं एक स्थान में तीनों का एकत्र उद्धेख आचारांग में इस रूपमें नहीं है।

आचारांग 'आचार' का प्रन्थ होनेसे उसमें दार्शिनिक विचारों का प्राचान्य नहीं हो सकता यह दशील दी जा सकती है किन्तु उसमें होने वाले शब्द प्रयोगों के आधार पर दर्शन की कहाना तो की जा सकतो है और उसीका निर्देश मैंने यहां करने का प्रयत्न किया है। आ-चारांग अनेक स्थानों में खंडित है। अतएव पूरी बात हमारे समक्ष आ नहीं सकती यह भी तथ्य है किन्तु जो कुछ उपलब्ध है उसीको आधार बना कर हो कहा जा सकता है और जो कुछ मैंने यहां कहा है वह आगेके विकास को स्पष्ट क्य से फलित करने में समर्थ है। जैन दर्शन का क्रिक विकास हुआ है और उस क्रिक विकास की सूमिका आचारांग में है—इतना ही कहना यहां अभिप्रेत है।

इतनी चर्चा से स्पष्ट होता है कि जैन दर्शनकी प्राथमिक भूमिका में 'षड्जीवनिकाय' और अचित पदार्थ की कल्पना की गई है। 'अत्थिकाय' शब्द अभी व्यवहार में आया

र. अद्धा का उल्लेख आचा०२० में है। श्रद्धानिक्रया का उल्लेख २५२ में है। 'सम्यक्तव' के लिए देखें -आचा० १८७, २१४, २१७, २१९, २२१ -२२३, २२६, २१७। सम्यक्तवदर्शी के लिए ९९, ११२, १४० भी देखें।

नहीं । आकाश को भी अन्य मतवालों ने महाभूत में शामिल किया है किन्तु कहीं भी उसकी 'काय' संज्ञा देखी नहीं जाती। जीव, आतमा, जीवितकाय, चित्तमंत ऐसे शब्दों का प्रयोग चेतन तत्त्व के लिए स्वीकृत है और अचेतन तत्त्व के लिए अचेतन, अचित्तमंत ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा जाता है किन्तु 'अजीव' यह शब्द देखा नहीं जाता। 'पुद्गल' शब्द का भी प्रयोग रूपी या मूर्त पदार्थ के लिए अभी नहीं हुआ है।

आचारांग में उपलब्ध जैनदर्शन की चर्चा करने के बाद यह देखना जरूरा है कि पालिपिटक में जो जैनमन्तर्व्यका का निर्देश है वह कैसा है क्यों कि जैनमन्तर्व्यों का अन्यत्र प्राचीनतम उल्लेख वही है। पालिपिटक में निग्गण्ठ नाटपुत्त के मत का जो उल्लेख है वह आचारपरक है। उससे भी यह सिद्ध होता है कि प्राथमिक भूमिका में जैनधर्म में आचार विषयक मन्तव्य विशेष रूप से निश्चित हुए थे।

सूत्रकृतांग -प्रथम श्रुतस्कंध में जैनदर्शन

आचारांग के दर्शन का विकास सूत्रकृतांग में स्पष्टरूप से मिलता है। आचारांग के कई विषय ऐसे हैं जिनकी सूचना मात्र आचारांग में थी उसका विवरण सूत्रकृतांग में देखा जाता है। अतएव यहाँ सूत्रकृतांग में जो दार्शनिक विकास देखा जाता है उसका निर्देश करूरी है। यहाँ मो सूत्रकृतांग का प्रथम अतस्कन्ध हो अभिषेत है जो उसके द्वितीय अनस्क ध से प्राचीन है। अतएव आचारांग के प्रथम अतस्कन्ध की चर्चा के बाद उसी की चर्चा की जाय यह उचित है।

सूत्रकृतांग में प्रथम अध्ययन में सर्वप्रथम अन्य तीर्थि को के मत की समीक्षा की गई है। समीक्षा तो है किन्तु उस मत के स्थान में जैनमत क्या है वह स्पष्ट नहीं कहा। अतएव उन समीक्षित मन्तन्यों के आधार पर जैन मन्तन्य फलित करना ही हमारे लिए एकमात्र मार्ग रह जाता है।

सूत्रकृतांग (७) में पृथ्वी, आप, तेज, वायु, और आकाश को पाँच महाभूत मानने वाले के मत का निर्देश है । इस मत के अनुसार इन पाँच भूतों से एक देही (आत्मा) का निर्माण होता है और उन पाँच के विनाश होने पर देही का भी विनाश हो जाता है (८)

इस मत की तुलना दीघनिकायगत (पृ०४८) अजित केसकम्बल के मत से की जा सकती है। वह पुरुष अर्थात् आत्मा की चार महाभूतों से उत्पन्न मानता है । चार महाभूत हैं— पृथ्वी, आप, तेज और वायु । इसके अतिरिक्त आकाश भी उसने माना है जिसमें मृत्यु होने पर इन्द्रियों का समावेश हो जाता है— 'आकास इन्द्रियाणि संकमन्ति'—अर्थात् वह पंचभूतवादी है। यह भी ध्यान देने की बात है कि उसके मतानुसार चार भूतों की 'काय' संज्ञा भी मान्य है, जैसे पृथ्वीकाय आदि । 'आकाश' की 'काय' संज्ञा नहीं है। वह अकियावादी है, जो किये गये कर्म के विपाक को नहीं मानता और नहीं परलोक को '। उसने अपने मत के विपरीत वाद को 'अत्थिकवाद' कहा है उससे यह फलित होता है कि वह 'निरिथकवादी' है। अर्थात् ही आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व वह नहीं मानता और न परलोक को ।

१. दीघनिकाय पृ० ५० । विशेष विवरण के लिए देखें—डा० नगराजजी, आगम और पिटक: एक अनुशीलन पृ०५३७-६१३

२. सूत्रकु०नि०गा० २७।

३. 'चातुमहाभृतिको अयं पुरिसो'-दीघ०ए०४८।

४. उनके मनानुसार मृत्यु होने पर 'गठबी पठविकायं...आपो आपोकायं, तेजो तेजो-कायं.... बायो वायुकायं अनुपेति अनुपगच्छति' दीघ • पृ०४८ ।

५. बनिश्य सुकत-दुक्कटानं कम्मानं पर्कं विपाको, निश्य अयं लोको, निश्य परलोको' दीघ० १०४८।

अजित के समान ही दूसरा मत पूरण कस्सपका है जो पाप-पुण्य नहीं मानता और अकियावादी है—दीघ० पृ० ४५ ।

पकुष कच्चायन के मतानुसार पठिवकायों, आपो॰ तेजों॰ वायों सुखे दुक्खें जीव सत्तमें न्ये 'काय' सात हैं' जो शाश्वत हैं और परस्पर सुखदुःख का कारण नहीं बनते । कोई किसी की हिंसा नहीं करता, कोई किसी के प्राण का व्यपरोपण नहीं करता, किसी के मस्तक का कोई तीक्ष्ण शस्त्र से जब घात करता है तब वह किसी के जीवन का घात नहीं करता, केवल इन सात कायों के बीच शस्त्र का पात करता है। कोई किसी का घातक, हिंसक नहीं है। कोई किसी का विज्ञाता या विज्ञापक भी नहीं – दीघ० पृ० ४९। यह भी अकियावादी ही कहा जायगा।

पृथ्वी आदि को 'भूत' न कह कर 'काय' संज्ञा सूत्रकृतांग में है । और यह भी तास्पर्य है कि वे सचित्त हैं-सजीव हैं। अन्य मत में जैसा कि हमने देखा चार या सात 'काय' है। जब कि सूत्रकृतांग में 'काय' छह है यह व्यवस्था हुई है और वे षड्जीर्वानकाय नाम से जाने जायें यह भी स्पष्ट है- किन्तु गिनती में छह का कथन आचारांग (६२)का अनुसरण ही नहीं, ह्पड्टीकरण भी मानना चाहिए। क्यों कि आचारांग में प्रथम अध्ययन में 'तसकाय' (५०) और 'अगणि काय' (२११, २१२) को 'काय' संज्ञा दी है। रोष का नामोटलेख हैं किन्तु उन नामों के साथ 'काय' स'ज्ञा का प्रयोग नहीं । इसका अर्थ यह तो नहीं कि वे 'काय' ह्य से अनिभमत थे। क्योंकि आगे चलकर प्रथम अध्ययन के अन्त में 'छज्जीवणिकाय' (६२) शब्द का प्रयोग किया गया है । और आचा० २६५ में अन्य आप और वायु को भो काय कहा ही है। केवल पृथ्वी और वनस्पति के साथ 'काय' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। फिर भी अभिषेत है ऐसा माना जा सकता है। सूत्रकृतांग में स्वष्ट रूप से गिनती करके छड़ों बताए हैं— सुत्रकृतांग ३८१-८२ में पृथ्वी, आप, अन्नि, वायु, वनस्पति और त्रस की गिनतो की गई है। यहाँ तृण-वृक्ष-बीज से वनस्पति अभिप्रेत है और त्रस प्राणी में अंडज, जरायुज, संस्वेदज और रसज का उल्लेख । सूत्रकृतांग (४४४-४४५) में तो स्वष्टरूप से छह कायों का निर्देश है-किन्तु त्रस में 'पोत' मेद का भी निर्देश किया गया है, जो पूर्व में निर्दिष्ट नहीं था^र। और सुत्रकृतांग-५०३-५०४ में सभी छहों को गिनाकर अंत में कहा है 'इत्ताव ताव जीवकाए नावरे विज्जती काए' (५०४) | स्पष्ट है कि काय संज्ञा छह जीवकाय की ही है। फलित यह भी होता है अभी 'अत्थिकाय' संज्ञा व्यवस्थित नहीं हुई और धर्म-अधर्म-पुद्गल-आकाश का कायरूप से स्वीकार भी नहीं हुआ।

१. ध्यान देना जरूरी है कि सातों को काय माना फिर भी गिनती के समय पृथ्वी आदि चार के साथ ही 'काय' शब्द जोड़ा है।

२. यहाँ तत्त्वार्थं के 'जराय्वण्डयोतज्ञानां गर्भः । नारकदेवानां उपपातः ।' २.३४-३५ देखें। और 'त्रस' जीवों के व्यवस्थित भेदों के छिए देखें आचा॰ नि॰ गा॰ १५३-१६३। तत्त्वार्थं २ १४।

यहाँ सृत्रकृतांग में जो त्रस के भेद गिनाए उससे यह भी सिद्ध होता है कि बाद में ज उपपात जन्मवाले नारक और देव माने गये (नारकदेवानामुपपात:—तत्त्वार्थ २.३५) उनका समावेश त्रस में नहीं है।

अथवा उनका समावेश त्रसके भेद रूप से गिनाए गये अण्डन आदि में से किसी एक में मान्य होगा । लेकिन स्पष्ट है कि सूत्रकृतांग में अभी गर्भन और सम्मुर्व्छिम इत्यादि समग्र जन्म प्रकारों की कल्पना स्पष्ट नहीं है । केवल गर्भन की कल्पना है-२२, २७, ९० ।

आचा॰ ४९. में कहा है— 'सितमे तसा पाणा, तं जहा- अंडया, पोतया, जराउया, रसया, संसेयया, सम्मुच्छिमा उिभया उववातिया।' स्पष्ट है कि आचारांग का यह सूत्र सूत्रकृतांग के सूत्रों का संशोधित रूप है— यह कोई भी कहेगा। आचारांग में 'उववाइय (ओपपातिक) और उववाय (उपपात) ये शब्द केवल जन्मसामान्य अर्थ में प्रयुक्त है। विशेष प्रकारका 'उपपात' जन्म जो देव नारक का अभिप्रेत है उस अर्थ में यहां उपपात अभिप्रेत नहीं है। आचारांग में जन्म के लिए 'उपपात' और मरण के लिए 'चयण' शब्द का प्रयोग भी इसमें साधक प्रमाण है ''उववायं चयणं णच्चा'' आचा॰ ११९ १८०, २०९। 'उपपतनं उपपातो, जं भणितं जम्म चयणं नाम मरणं। ण य तेल्लोके वि तं ठाणं अत्थ जत्य उववातो चयणं वा ण भवति आचा॰ चू॰ पृ० ११६। इससे हम कह सकते हैं कि जन्म का विशेष प्रकार 'उपपात' जो देव-नारक के लिए चयवस्थित हुआ वह आचारांग काल की कल्पमा नहीं है। प्रमाण यह है कि आचारांग की प्राचीनतम कल्पना नहीं है। बाद में कभी भी जोड़ी गई है। प्रमाण यह है कि आचारांग के अन्य सुत्रों में उसका उल्लेख नहीं और सूत्रकृतांग में भी उस विशेष अर्थ में प्रयुक्त नहीं।

इस कल्पना को प्रथम किसने की यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु बौद्धों में भी देशों के विषय में ऐसा कल्मा को गई है— दीविनकाय (भा- ३- ए०८३) गर 'ओपमतिक' शब्द की अ- हक्या में उसका अर्थ दिया है कि जो माता- पिता के बिना जन्म होता है, जैसा की देव का वह ओपपातिक है इतना ही नहीं योनि के चार प्रकारों को भी बौद्धों ने गिनाया है और वे हैं-अण्डजयोनि, जलाबुजयोनि संसेदजयोनि और ओपपातियोनि—दीव० भाग ३. ए०१७९ । इसकी तुलना आचारांग-सूत्रकृतांग से करें तो स्पष्ट होगा 'उपपात' को विशेषयोनि के अर्थ में लेना यह प्राथमिक कल्पना नहीं है। कभी बाद में यह व्यवस्था हुई है । इसके साथ तस्वार्थ के २-३४-३६ की तुलना करें जहाँ व्यवस्था दी गई है कि जरायुज, अण्डज और पोतज का जन्म गर्भ है, देव और नारक का जन्म उपपात है और शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म है।

दीघ निकाय (पृ०१९५) में 'दिन्वा गन्भा' का उल्लेख है जिस पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होगा कि विचार न्यवस्था की पूर्व सूमिका में देवों के भी 'गर्भ' से जन्म की मान्यता होगी चाहे यह अस्पष्ट हो कि गर्भ में आगति माता-पिता के संयोग से होगी या उसके बिना । किन्तु 'उपपात' का विशेषार्थ देकर इस शंका का निराकरण किया गया कि माता-पिता के संयोग के बिना वह होता है। और योनि के भेद में उसे पृथक् बताकर उस नये विचार की न्यवस्था भी की गई।

१. सूत्रकृतांग ५४७ में अन्य मत के प्रसंग में राक्षस, यमलौकिक, सुर, आकाशगामी गंघर्व को काय संज्ञा दी गई है।

२. उपपातः- प्रादुर्भावो जन्मान्तरसंक्रान्तिः, उपपाते मवः औपपातिकः। आचा० शी० १६।१। 'उववाइय' अन्वार,२,४९। 'उववाय' ११९, १८०,२०९। यहाँ टीकाकार उप+पत् समझते हैं किन्तु वास्तव में वह उप+पद् का रूप लिया जाय तो अच्छा होगा। देखे उपपाद, उपपादुक शब्द, Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (BHS).

पंचमहाभूतवादी के बाद एकात्मकवादका निराकरण है (९-१०)। निर्यु कित में इसे 'एकप्पर' (गा०२७) अर्थात् 'एकप्पमक' कहा है। चूर्णिमें व्याख्या है कि 'तत्र केचित् एकात्मक' जगदिच्छन्ति। तत्र केषांचिद विष्णुः कर्त्ता, केषांचिद् महेश्वर:। स हि कृत्वा जगत् पुनः संक्षिपति''। सूत्र० चू० पृ० २५।

सूत्रकृतांगमें इस मतका स्पष्टीकरण है कि जैसे एक ही पृथ्वी स्तूप है किन्तु वह नाना-रूपमें दीखता है वैसे ही एक 'विण्णू' नाना रूपमें दीखता है। यहाँ 'विष्णू' का अर्थ विज्ञ भी है और विण्णु भी (चू० पृ० २५)। किन्तु निर्युक्तिका 'एकारमवाद' एक ब्रह्म या एक आरमा जो उपनिषद् में मान्य है वही हो सकता है। एक ही ब्रह्म नाना रूपों में दीखता है यही मन्तव्य एकारमवादी का है। और यह भी कि वही एक पाप करके उसका फल (दु:ख) भोगता है – सूत्रकृ १०।

इस मतको जब अन्य मतके रूपमें निर्दिष्ट किया उससे यही फील्लित हुआ कि जैनदर्शनमें जगत् एकात्मक नहीं है। उसमें नाना जीव हैं और वे अपने अपने कमीं का फल भोग करते हैं। एक ही आत्मा नहीं।

इसके बाद सूत्रकृतांग में तज्जीव-तच्छरीरवाद का निराकरण है—ऐसा नियु क्ति (गा०२७) और चूर्णिमें पृ०२३ में कहा गया है। सूत्रकृतांग में (सूत्रकृ०११-१२) इस मतका विवरण है कि नाना सत्त्व-जीव औरपातिक नहीं हैं अर्थात् नया जन्म घारण नहीं करते, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, इसके बाद कोई परलोक भी नहीं। शरीर के विनाश के साथ ही देही आत्मा का विनाश हो जाता है। स्पष्ट हैं कि यह मत अक्रियावादी है। और इसकी तुलना अक्रियावादी पुरण कस्सपके मतसे की जा सकती है। उच्छेदवादी अजित केसकम्बलका मत भी ऐसा ही है। उस के मतमें भी सुबृत-दुष्कृत का फल नहीं और परलोक भी नहीं। चतुर्महा भूत से पुरुष का निर्माण होता है और मृत्यु के बाद भूतों में मिल जाता है । इन का मत भी तडजावतच्छरोरवाद और अक्रियावाद कहा जा सकता है।

इस तज्जीव-तच्छरीरवाद को अमान्य करने से फलित होता है कि जैनमतानुसार आत्मा स्वतंत्र है। वे नाना हैं यह तो कहा ही गया है और अब यह फलित हुआ कि मृत्यु के साथ आत्मा का उच्छेद नहीं होता, वह अपने कर्मके अनुसार पुनर्जन्म घारण करता है और कम विहीन होकर मुक्ति लाभ भी कर सकता है।

तज्जीवतच्छरीरके निराकरणके बाद अकारकवाद का निराकरण है ऐसा चूर्णि (पृ०२७) में स्पष्टीकरण है। सूत्रकृतांग में इस मतके अनुसार आत्मा कर्ता और कारक भी नहीं आत्मा तो अकारक है (१३)। इस मतको चूर्णिमें स्पष्टरूप से सांख्य का मत बताया है। सांख्यों ने आत्मा को अकर्ता माना है-यह सर्वविदित हैं। उपनिषद में भी इस मत की पुष्टि देखी जाती है-छान्दोग्य ७-९-१ में आत्माको अकर्ता कहा गया है। और गीताने (१३-३०) भी आत्माके अकर्त्य समर्थन किया है। इस तरह अकारकवाद के निराकरणसे स्मष्ट होता है कि जैनदर्शन में आत्मा को कर्मका कर्ता माना गया है।

१. ''प्रणो कस्सपो...अिकरियं व्याकासी'' दीघ पृ० ४६।

२. ''अजितो केसकम्बलो ... उच्छेदं व्याकासी'' दीघ पृ०४८ ।

३. दीघ० पृ० ४८ ।

इसके बाद आत्मा को पाँच महाभूतसे अतिरिक्त माननेवालों का मत है और उस मतके अनुसार आत्मा और लोक शाश्वत है। इन दोनों की उत्पत्ति होती नहीं। ये नियत हैं। और असत् की उत्पत्ति नहीं होतीं यह भी इस मतका सिद्धान्त है (१५-१६)।

इस मतको चूर्णि में अफलवाद ैभी कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जब इस मत में नियति का स्वीकार हुआ अर्थात् ही पुरुषार्थवाद को अवकाश नहीं, कर्म वादका स्वीकार नहीं, तब फल कैसे होगा ? और यह भी ध्यानमें देना चाहिए कि इस मत को सत्कार्यवादी मानना उचित है। यही वाद सांख्यों ने भी माना। जैनदर्शन में तो सदसत्कार्यवाद का स्वीकार स्पष्टरूप से दार्शानक काल में हुआ है। नियतिवाद के स्वीकार में ही असत् की उत्पत्तिका अस्वीकार संनिहित है। अतएव नियतिवादी सत्कार्यवादी हो यह स्वामाविक है। किन्तु इस मतके निराकरण से जैन तो फलवादी और पुरुषार्थवादी ही यह फलित होता है।

बौद्धमत का भी निर्देश किया गया है और कहा है कि ये पांच स्कन्ध की मान्यता रखते हैं और उन्हें क्षणिक मानते हैं। साथ ही यह भी निर्देश है कि इनके मतमें (शरीर से) अन्य या अनन्य (आत्मा) तथा हेतु से या अहेतुक (उत्पत्ति) भी मान्य नहीं है (१७) ये मानते हैं कि पृथ्वी, आप, तेज तथा वायु ये धातु हैं और इनकी 'रूप' संज्ञा है (१८)।

इसमें जो 'अन्य-अनन्य न होने' की बात कही गई है वह भ. बुद्ध के मत को पूर्वोक्त जो आत्मा को पांच भूतों से पृथक् नहीं मानते और जो पृथक् मानते हैं उन दोनोसे पृथक् करती है। अर्थात् ही बुद्धने पांच भूतों से निर्मित शरीर से जीव या आत्मा को अन्य और अनन्य कहने से इनकार किया है। यह उनके अन्याकृत प्रश्नों से स्पष्ट होता है । और अन्यत्र भी इसकी चर्चा बुद्धने की है। "

बौद्धोंने प्रतीत्यसमुत्पाद मानकर हेतु से या अहेतुक उत्पत्तिका निराकरण किया है यह विदित है ही । इस के लिए विशेषरूप से नागार्जुन की विग्रहण्यावर्तनी और माध्यमिककारिका देखी जा सकती है ।

बौद्ध मत के निराकरण से यह फलित होता है कि ऐकान्तिक क्षणिकवाद जैनसंमत नहीं। क्योंकि जीवका पुनर्जन्म स्पष्टरूपसे स्वीकृत है (आचा० २-४) । और यह भी स्पष्ट किया है कि जीवकी आदि और अन्त देखा नहीं जाता। अर्थात् ही जीव नित्य है (१२३)। शरीर और जीव की भेदाभेदकी चर्चा भगवती में की गई है और शरीर से पारमार्थिक दृष्टि से जीव भिन्न है यह आचारांग (१७६) में स्पष्ट किया गया है। जैन हेतुओं से उत्पत्ति मानते हैं यह भी स्पष्ट है क्यों कि नियति न मानकर पुरुषार्थ का स्वीकार किया गया है।

पंच स्कन्ध के स्थान में जीव और अजीव की कल्पना आचारांग में ही स्पष्ट की गई है। जिसकी तुलना बौद्धों के नाम और रूपसे की जा सकती है। सांख्यों के प्रकृति-पुरुष से भी की जा सकती है।

१. असत्से उत्पत्ति होती है-इस मतका उल्लेख और निराकरण छान्दो० ६. २ में है।

[्]२. ''इदाणिं आयच्छहाऽफलवादि त्ति''-सूत्रकु० च्**० पृ० २८** ।

३. देखें बौद्ध अवतरण के लिए सूत्रकु० पृ० ३६०।

४. मिष्सिमिनिकाय चूलमालुंक्य सुत्त ६३ । इसकी विशेष चर्चा के लिए देखें न्याया० प्रस्तावना ए० १४ ।

५. देखें दीवनिकाय पृ० १३४-१३५ । सुत्र० में उद्धृत पाठके लिए देखें पृ० ३५९ ।

बीद्धों की एक अन्य मान्यताका भी उल्लेख है जिसके अनुसार यदि जानबूझकर काय से हिंसा न करे, अबुध=बालक यदि हिंसा करे, तो केवल कर्म के स्पर्श की वेदना है, यह अव्यक्त सावश्वकर्म है। अर्थात् ही उस अवस्थामें हिंसा का पाप नहीं। पाप के तीन कारण हैं स्वयं हिंसा का अभिक्रम करे, दूसरे को मेज कर हिंसा का कर्म करे या मनसे हिंसा की अनुमादना करे। यदि अपने भाव की विशुद्धि कर इन तीनों से विरत हो तो निर्वाणलाम होता है। इस दृष्टि से यदि कोइ अस्यत पुरुषने पुत्रको हत्या की हो ओर मेधावी (भिक्षु) (उसके मांसका) भोजन करे तो भी वह कर्म से लिस नहीं होता है (५०-५४)।

चौद्धों के इस सिद्धान्त का विकित्त रूप हमें अभिष्मिकोष में मिलता है जिसकी चर्चा विस्तार से तत्त्वार्थटीकाकार सिद्धसेनने की है। यह चर्चा पं. सुखलालजीने ज्ञानिबन्दुकी प्रस्तावना में उपस्थित की है (पृ० ३०) और श्री कंबूबिजयजीने भी सूत्रकृतांग की प्रस्तावना में (पृ० १०-१२) इस चर्चा को पुन: स्पष्ट किया है। मूलपाठों के लिए देखे ज्ञानिबन्दुप्रकरण टिप्पणानि पृ० ७९-९७।

आजीविकों के नियतिवाद के विषय में कहा गया है कि जीवको जो सुखदु:ख मिलता है उसका कारण स्वकृत या परकृत कर्म नहीं किन्तु वह संगतिक है। और यह भी कहा है कि वे यह नहीं जानते कि क्या नियत है और क्या अनियत है (सृत्रकृ० २७-३०)। अर्थात् ये अहेतुवादी है (सर्वमहेतुतः प्रवर्तत इति—सूत्रकृ० चू० पृ० ३१)। संगतिक शब्द का अर्थ चूर्णि में है-"संगतियं णाम सहगतं संयुक्तिमित्यर्थः। अथवा अस्य आत्मनः नित्यं संगतिन इति। संगतिरदं संगतियं भवति, संगतेर्वा हितं संगतिकं भवति"—सृत्रकृ० चू० पृ० ३१। नियत—अनियत के स्पष्टीकरण में कहा है कि कुछ कर्म अवद्य वेदनीय है जैसे कि निरुपक्रम आयु देव और नारकका। यह नियतवेदनीय है। और सोपक्रम आयु को अनियतवेदनीय कहा है — सूत्रकृ० चू० पृ० ३२४।

स्पष्ट है कि जब इस मतका निराकरण किया तो कर्म और उसके फल की मान्यता होने से कर्मवादी जैनमत हो यह सिद्ध होता है और आचाराग में प्रारंभ में ही कर्मबाद की मान्यता को स्वीकृति दी ही है (आचो० ३)।

अज्ञानवादियों के मतका निर्देश करके कहा है कि कुछ श्रमण—ब्राह्मण हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लोकके अन्य जीव कुछ भी नहीं जानते, वे तो म्लेच्छके समान हैं, जो अम्लेच्छकी बात सुनकर उसकी आवृत्ति मात्र करते हैं। तात्पर्य वे समझते नहीं इत्यादि (४०-४९)।

पालिपिटकमें जो संजय बेलहपुत्त का मत निर्दिष्ट है उसकी संज्ञा विक्षेपवाद है और वह इस अज्ञानवाद से पृथक् प्रतीत होता है।

प्रगति अज्ञानवाद के निराकरण से इतना ही फलित होता है कि ज्ञान किसी एक को हो है और शेष मूर्ख है-ऐसा नहीं माना जा सकता। जो भी आने ज्ञानावरण का निराकरण कर सके वह स्वयं ज्ञानी होगा यह बात जैनको मान्य होगी। अर्थात् ही सब जीवको ज्ञानी बनने का अधिकार है-यह जैनमत फलित होता है।

१. यहाँ उसे क्रियावादी कर्मवादी कहा है। सूत्रकु० पृ० ५०।

२. इस बौद्धमतकी पुष्टि के लिए देखें सूत्रकु० पृ० ३६०-३६१ में बौद्ध उद्धरण।

३. न्याख्याके लिए सूत्र॰ चू॰ पृ॰ ३७-३८।

४. तत्त्वार्थभाष्य २. ५२।

५. दीव० ए० ५१।

इसी प्रकार लोक के विषय में जो नाना मत थे जैसे कि देवगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ईश्वरकृत तथा प्रधानादिकृत, स्वयंभूकृत, मायाकृत, अण्डकृत आदि—उनको भी मृषावादी कहकर अमान्य किया है (६४-६८) और कहा हैं— "तत्तं ते न वियाणंति न विणासी कयाइ वि?" (६८) अर्थात् यह होक अविनाशी है। अर्थात् ही किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया। इस मत के निराकरण में कहा है कि समुत्पाद को ही नहीं जानते तो संवर को क्या जानेंगे (६९)

सूत्रकृतांगमें ईश्वर के अवतारवाद के विरुद्ध जो कहा है वह इस प्रकार है-कुछ लोग आत्माको ग्रुद्ध और अपाप मानकर भी कीड़ा और प्रदेख के कारण उसे अपराधी मानते हैं (७०)। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर का अवतार कीड़ा के कारण होता है अथवा धर्महानि को देखकर हानिकारक के विरुद्ध प्रदेख के कारण होता है, यह मान्यता तब तक प्रचलित हो गई होगी। यहाँ गीताके अ० ४ श्लो० ६—८ ध्यान देने योग्य हैं। जहाँ स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर के कई अवतार होते हैं धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाशके लिए।

इससे स्पष्ट होता है कि वीतराग पुरुष को पुनर्जन्म होता नहीं ऐसा स्पष्ट मन्तन्य जैनों का स्थिर हो गया होगा।

आचारांग में प्राय: लोकका अर्थ था जीवसमूह, तो यहाँ उससे पृथक् क्षेत्रलोक की कल्पना स्पष्ट है न्यों कि जीवलोक और क्षेत्रलोक का पृथक्करण होने पर ही उक्त सृष्टि विचार को अवकाश मिलता है । और इसी क्षेत्रलोकके विषय में एक मत ऐसा है कि लोक अनन्त है और नित्य है, शाश्वत है, उसका विनाश होता नहीं है – किन्तु जैनदर्शन के अनुसार लोक अन्तवान् है, नित्य है – (८१)। आचारांग में एकचार 'लोकालोक प्रपंच' शब्द का प्रयोग हुआ है – १२७। इससे अलोक की मान्यता सिद्ध होती है। अतएव यहाँ लोक को अन्तवान् मानना संगत है।

जीवो के भेदों में भवनवासी आदि चार प्रकार के देवों का विभाग जो बादके आगम में स्पष्ट है वह सूत्रकृतांग में देखा नहीं जाता अन्यथा "देवा गन्धव्वरक्खसा असुरा" (९३) और 'जे रक्खसा वा जमहोइया वा जे वाऽसुरा गंधव्वा व काया" ५४७ – यह उल्लेख इस रूपमें नहीं होता – यह प्रक्रिया तो उस काल के वैदिकों की थी।

रात्रिभोजन सहित महावरों' का उल्लेख सूत्रकृतांग में (१४५) मिलता है और एक साथ पांच प्राणातिपात आदिका उल्लेख भी है (२३२)। अतएव इसके कालमें पांच महावतों की मान्यता स्थिर हो गई थी ऐसा कहा जा सकता है जो, सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कंध में (६८१) तथा दशवैकालिक में तो स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट ही है।

लोक में तीन लोक—ऊर्ध्व, अधः और तिर्यंक् की कलाना सम्बद्ध है और उसमें त्रस-स्थावरों का निवास है-यह भी स्पन्द हो गया है (२४४) किन्तु नरक के सात मेद जिस ह्रपमें आगे चळकर स्थिर हुए उसके स्थानमें नरकों का विभाग कुछ दूसरा ही सूत्रकृतांग में है (अ० ५)।

वैदिकपरिभाषा में विद्या और आचरण (५४५) को मोक्षमार्ग कहकर भी

१. सूत्र ॰ चू॰ में मूल पाठ है - "कीलावणप्पदोसेण रजसा अवतारते" और शीलांकटीकानु-सारी पाठ है-पुणो कांडापदोसेण से तत्थ अवरज्झिति" (७०)।

२. आचारांग में क्षेत्रलोक की बात नहीं थी यह कहना अभिन्नेत नहीं किन्तु यह कि वहाँ अधिकांश में लोक शब्द जीवसमूह के लिए प्रयुक्त है, वह अब क्षेत्रलोककी व्यवस्था के बाद उस अर्थ में प्रयुक्त होना कम हो गया।

— मोश्च का मार्ग या सिद्धि की प्राप्ति के तीन कारण-ज्ञान, दर्शन और शील यहाँ स्पष्ट रूप से कहे गये हैं (३६८) जिसका अनुसरण सूत्रकृतांग में ही द्वितीय श्रुतस्कंघ में सातें अध्ययनमें ८६०वें सूत्रमें शोलके स्थानमें चारित्र शब्द रख कर जो हुआ वही पारिमाधिक रूपसे आगे के सभी प्रन्थों में अनुसत है। यहाँ शील शब्द का प्रयोग जो है वह चारित्र को 'शील' शब्दसे ख्यात करने की प्राचीन प्रथा को लेकर है यह ध्यान में रखना जरूरी है— बौद्धों में शील, समाधि और प्रज्ञा ये क्रिमक कारण हैं। किन्तु जैनों में ज्ञान-दर्शन—चारित्र ये क्रिमक' कारण है इस और भी ध्यान देना जरूरी है। उपनिषदों में ज्ञान को ही महत्त्व दिया गया था, उसके स्थान में यहाँ चारित्र को महत्त्व मिला है। बौद्धों ने भी शील को महत्त्व दिया, किन्तु क्रममें उसे प्रथम रखकर प्रज्ञाको उससे अधिक महत्त्व दिया वह एक प्रकार से शील की अपेक्षा ज्ञान को ही अधिक महत्त्व है-इसको सूचित करता है। किन्तु जैनों की दृष्टिमें चारित्र का विशेष महत्त्व है।

इन कारणों से संपूर्ण कमोंका विशोधन होता है अर्थात् क्षय होता है तब हो सिद्धि या मुक्ति प्राप्त होती है—यह भी स्पष्ट किया गया • है । इसी दृष्टि से भ महावीर को निर्वाण-वादी में श्रेष्ठ बताया गया है (३७२) । सिद्धि के अन्य कारण जैसे कि आहार का त्याग, सीतो-दकका सेवन, अग्निहोत्र (३९२)—इनका निराकरण किया गया है और कहा है कि यदि शीतोदकके सेवन से मुक्ति होती हो तो सदैव शीतोदकका सेवन करनेवाले मत्स्यादिकी सिद्धि हो जानी चाहिए (३९४—३९७) । इसी प्रकार अग्निहोत्र का भी निराकरण किया गया क्यों कि इसमें निरपराध जीवों की हिंसा होती है (३९८—४०१) ।

सूत्रकृतांगमें आकर तत्त्वों की गणना किस प्रकार होने लगो यह भी देख लेना जरूरी है, जिससे उस सूचीमें किस प्रकार संकोच-विस्तार होकर व्यवस्था हुई यह जाना जा सकेगा। दार्शनिक मतोंका विभाजन किया, अकिया, विनय और अज्ञान वादोंमें करके भी जैनमत को जैसा कि आचारांग (३) के प्रारंभमें कहा है कियावाद ही कहना होगा। अतएव यह स्पष्टीकरण आवश्यक था कि वास्तविक कियावादी कीन हो सकता है या कियावादके उपदेशके लिए क्या शर्त हो। इसका स्पष्टीकरण १२ वें अध्ययनमें किया गया है और वहाँ उस प्रसंगमें— आत्मा, लोक, गति और अनागित, शाश्वत और अशाश्वत, जन्म-मरण, उपपात और व्युत्कांति, आसव और संवर, दुःख और निर्जरा— इनको जो जानता है वही कियावादका उपदेश देनेका अधिकारी है— यह स्पष्टीकरण किया गया है (५५४—५५५)। यह सूची उस समय तकके मान्य तत्त्वों की कही जा सकती है।

केन दर्शनका अनेकान्तवाद प्रसिद्ध है। उस अनेकान्तवादका पूर्व रूप है विभज्यवाद। सूत्रकृतांगमें यह कहा गया है कि— "विभज्जवायं च वियागरेज्जा" (६०१) अर्थात् वचनमें विभज्यवाद का आश्रय लेना चाहिए। यह विभज्यवाद भ० बुद्धके द्वारा भी उपदिष्ट है। मैंने अपनी पुस्तक "आगमयुग का जैनदर्शन" में (पृ० ५३ से) इसकी व्याख्या करने का तथा बुद्धके विभज्यवादके साथ तुलना करनेका प्रयत्न किया है। अतएव यहाँ उसका विस्तार करना अनावश्यक है। सारांश यह है कि किसी प्रश्नका एकान्त उत्तर न देकर विभाग करके उत्तर देना यह विभज्यवाद है। उसीमें से अनेकान्तवादका विकास हुआ है। सूत्रकृतांगमें इसकी

१. तत्त्वार्थसूत्र में क्रम है दर्शन, ज्ञान, चारित्र-यह विचार के विकास की सूचना देता है।
२. सूय० ३७८ ।

कोई व्यख्या नहीं मिन्नती, किन्तु भगवतीसूत्रके कई सूत्र ऐसे हैं जिनमे विभज्यवादका स्वरूप स्पष्ट होता है। विभज्यवादमें नयोंका विचार नहीं हुआ है। नयवादके विकासको तब अवसर मिला जब तत्त्वकी विवेचना शुरू हुई। विभज्यवादकी जो प्रारंभिक चर्चा है उसमें जैसे कि ज्ञाना और अज्ञानो, धर्नी—अधर्मी आदि विभाग करके उत्तर दिया जाता है। किन्तु अनेका-नत्वादमें अपेक्षा या नयों को शोध की गई ओर क्रमशः उसी परंगराका विकास होकर अने-कान्तवाद स्थिर हुआ।

सूत्रकृतांग — द्वितीय श्रुतस्कंध

सूत्रकृतांगके द्वितीय श्रतस्कंघमें प्रथम श्रतस्कंघगत तत्त्वविवारमें प्रगति देखी जाती है। द्वितीय श्रुतस्केंब के पांचवें अध्ययत 'आयारसुय' में यह स्वष्टीकरण है कि लोक अनादि और अनन्त है ऐसा जान हर भी उसे केवल शाश्वत या अशाश्वत नहीं कहता चाहिए (७५५)। शास्ताका उच्छेद होगा और सभी प्राणी विसदृश हैं तथा सभी प्राणी सदैव प्रनथमें ही रहेंगे अर्थात संवारमें हो सदैव भ्रमण करते रहेंगे-ऐसी मान्यता भी नहीं कहनी चाहिए (७५७)। इसी सिद्धान्त से फलित होने वाला दूसरा सिद्धान्त भी कहा कि जीव छोटा हो या बडा, उनकी हिंसासे होनेवाला वैर सदश हो है या असदश हो है-ऐसा भी नहीं कहना चाहिए (७५९)। इससे जीवकी शरीरपरिमाणकी मान्यता फलित होतो है, किन्तु स्वष्ट शब्दोंमें उसे कहा नहीं गया है। यथाकाम्य (आहाकम्ब) साधके लिए बरा-यदि उपयोग में लेता है तो अवस्य कर्मबन्ध होता है या नहों होता है यह कड़ना भी नहीं चाहिए (७६१)। इस प्रकार औदा-रिक आहार और कार्मण आहारमें अपनी वीर्यशक्ति है या नहीं है ऐसा भी एकान्तरूप से नहीं कहना चाहिए (७६३)। ये सभी अवचनीय हैं -अवक्तव्य हैं। किन्तु इसके बाद श्रद्धाके-दर्शनके विषयों की चर्चा जो की गई है उसमें उक्त प्रथम श्रुतस्कंघगत सूचीको नया रूप-संशोधित रूप दिया गया है। और उन्हें 'अस्ति' कोटि में रखा गया है। वहाँ जिन तत्त्वों को 'अस्ति' कहना और 'नास्ति' नहीं कहना यह कहकर गिनाया है वे हैं – होक, अहोक, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, वेदना, निर्जरा, क्रिया, अक्रिया, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष, चतुरंत संसार, देव, देवो, सिद्धि, असिद्धि, सिद्धिनिजस्थान है, साधु, असाधु, कल्याण, और पाप (७६५-७८१)।

यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यहाँ जो धर्म—अधर्म गिनाये हैं उनका तारार्य धर्मा-स्तिकाय और अधर्मास्तिकायसे नहीं है यह बात सभी टीकाओं को मान्य है। स्पष्ट है कि यह सूची आगे चडकर जो सात या नव तस्वकी सूची स्वीकृत हुई है उपका पूर्वरूप है। अतएव हम यह कह सकते हैं कि यह तस्वों या पदार्थों की सूची व्यवस्थित करने का प्रयत्न सर्वप्रथम हुआ है। उसके बाद क्रमसे पंचारितकाय और षड्द्रव्य की सूची बनी है। यह पदार्थोंकी सुची विश्वरूपकी व्याख्याके छिए नहीं किन्तु मोक्षमार्गकी व्याख्याके अनुकूछ है। विश्वव्याख्याके छिए तो पंचारितकाय-षड्द्रव्यकी सूची बनी है।

पंचास्तिकाय और षड्द्रव्यकी करूपना नव तस्व या सात तस्वके बाद ही हुई है उसका प्रमाण हमें भगवतीसूत्रसे मिल जाता है। वहाँ प्रश्न किया गया है कि लोकान्तमें खड़ा रह कर देव अलोकमें अपना हाथ हिला सकता है या नहीं? उत्तर दिया गया कि नहीं हिला सकता। और उसका कारण बताया कि ''जीवाणं आहारे।विचया पेगाला, बोंदिचिया पोगाला, कलेवरिचया पोगाला, पोग्गलमेव पण जीवाण य अजीवाण य गईपरियाए आहिउनह। अलोए

णं नेवित्थ जीवा नेवित्थ पोगाला"-१६.८.१५ । स्पष्ट है कि जीव और अजीव की गितका कारण पुद्रलको माना गया है। यदि भगवर्त के इस स्तरकी रचनाके समयमें धर्मास्तिकाय- द्रव्यकी कल्पना स्थिर हो गई होती तो ऐसा उत्तर मिलता नहीं। धर्मास्तिकायादि की प्ररूपणा क्या भगवान् महावीर ने की हैं ? ऐसे प्रश्न भी अन्य तीर्थिकों को हुए हैं यह भी सूचित करता है कि यह कोई नई बात दार्शनिक क्षेत्रमें चल पड़ी थी-भगवती-७.१०.३-६। भगवती में ही धर्मास्तितकाय आदिके जो पर्याय दिये गये हैं वह भी उन्हें द्रव्य माननेके पक्ष में नहीं है-भगवती २०.२.४-५-

''धम्मित्थिकायस्स णं भंते केवइया अभिवयणा पन्तत्ता ? गोयमा ! अणेगा अभिवयणा पण्णता, तं बहा धम्मे ति वा धम्मित्थिकाए ति वा, पाणाइवायवेरमणे ति वा, मुसावायवेरमणे ति वा एवं बाव परिगाहवेरमणे ति वा, कोहिववेगे ति वा, जाव मिञ्छादंसणसल्ळविवेगे ति वा, रियासिमिती ति वा, भासास॰ एसणास॰ आयाणभंडमत्तिनक्खेवणस॰ उच्चारपासवणखेळसिघाण-पारिद्वावणियासिमिती ति वा, मणगुत्ती ति वा वइगुत्ती ति वा कायगुत्ती ति वा जे यावन्ने तह-प्पगारा सन्वे ते धमित्थकायस्स अभिवयणा''-इत्यादि- इसी तरह अधमीस्तिकाय के भी पर्याय शब्द दिये हैं। इससे स्पष्ट है कि गतिसहायादि द्रव्यक्पसे बो आगे चळकर धर्म और अधमे अस्तिकाय की कहाना की गई है उसका यह पूर्वरूप है, जिसका संबंध अठारह पापस्थानों से विरति और अविरति और सिनिति गुप्तिके पालन-अपालन रूप अमणादि के आचार-अनाचाररूप धर्म-अधर्म से है। द्रव्य धर्म-अधर्म से नहीं।

उक्त अति विस्तृत सूचि का संकोच देखना हो तो सूत्रकृतांग के ही द्वितीय श्रुतस्कंध के दूसरे अध्ययन के ७१५ वें सृत्र में है-जहाँ-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवर, वेदना, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बन्ध और मोक्ष का निर्देश हैं। इसी सूची का संकोच हम सात पदार्थ में और नव तस्व में देखते हैं। इसमें से वेदना, किया और अधिकरण को निकाल देने से ही ये अंतिम स्चियाँ बनी है- इसमें संदेह नहीं है। स्पष्ट है कि सूत्रकृतांग के काल तक पंचास्तिकाय और षदद्वय की चर्चा ने तस्विवचारणा में स्थान पाया नहीं है।

प्रमाण या ज्ञान की चचां में भी प्रगति सुत्रकृतांग में देखी जा सकती है। यद्यपि प्रथम शु॰ में 'सन्बण्णु'-सर्वज्ञ शन्द का प्रयोग नहीं दिखता फिर भी 'न नायपुत्ता परमिथ नाणी' (३७५) अणंतचक्खू (३५७), सन्वदंशी अभिभूयनाणी (३५६) अणंतनाणदंसी (४६०), 'अणुत्तरनाणो, अणुत्तरदंसी, अणुत्तरनाणदंसणधरे' (१६४), अणंतनाणी अणंतदसी (३५४), तिलोगदंसी (५९५), जगसन्वदंसिणा (१४१) ये सर्वज्ञता की सूचना तो देते ही हैं। स्पष्टरूप से निर्देश के लिए तो आचारांग के द्वितीय और सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कंघ ही हमारे लिए प्रमाण उपस्थित करते हैं—'सन्वण्णू सन्वभावद्रिसी' (आ०७७३) 'केवली बूया' (आ०३३८,३४०,३४२आदि), 'केवल' (सू०८३५-८३६), 'केवलेण पुण्णेण नाणेण (सू०८३६), 'केवलवरनाणदंसणं' (आ.७७२,७३३; सू०७१४)।

आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कंघ में 'तित्थ' (७५२) 'तित्थयरार्भिसेय' (७३९) जैसे प्रयोग सूचित करते हैं कि उस काल में अईतों को 'तीर्थंकर' शब्दसे सम्बोधित किया जाने लगा था। उसी शब्द का प्रयोग फिर तो सामान्य हो गया-भगवती स्०४(२)।

१. सूत्रकृतांग में आकर पांच आखव और उसके संवर की व्यवस्था हो गई **है— ''**साहू-पंच संवरसंबुडे'' ८८।

सुत्रकृतांग द्वितीय श्रुतस्कंघ में भी अवधि और मन:पर्याय की कोई चर्चा नहीं है किन्तु आचारांग के द्वितीय श्रुतस्कंघ में भा महावीर के जन्म के समय में तीन ज्ञान का उच्छेत है जो स्चित करना है कि पांच ज्ञान की कटाना स्थिर हो गई थी। क्योंकि वहीं स्वष्ट किया गया है कि दोला छेते की उन्हें मन:पर्याय ज्ञान का भी छाभ हुआ (आ०-७६९)

स्त्रक्रवांग के द्वितीय श्रुतस्कंधका प्रथम अध्ययन प्रथम श्रुतस्कंघ में जिन २ मतों का खंडन किया गया है उनमें से कुछ का विशेष विवरण प्रस्तुत करता है। उस पसंग में जैनदर्शन को मान्यताएँ किस प्रकार स्पष्ट रूपमें बनती गई उनकी कुछ झलक हमें मिलती हैं।

अनेक दृष्टांत देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की गई हैं कि शरीर से भिन्न जीव को सिद्धि हो नहीं उफ़ती ! शरीर को जड़ा देने के चाद आत्मा या जीवना कहीं पता नहीं हुगता अतरव परछोक और सुकृत न्तुष्कृत की बात करना भिष्या है—यह भिष्या मन 'तज्जी-वाच्छशारवाद?' का प्रथम उल्लिखत है ६५०-२५३) । अर्थात् ही जैनों की जोत्र शरीर से भिन्न हैं—यह मान्यता स्थिर हुई ।

दूसरा मत पंचभूतवादीओं का है (६५५-६५८)। इस मत में पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश ये पांच महाभूत हैं और वे भितिमित, अनिर्मापित, अकृत, अकृत्रिम, अकृतक, अनादि, अनिधन, अवध्य, अपुरोहित, सतत और शाश्वत है। इन पांचों के अलावा आत्मा भी छठा तत्व है। उनका कहना है कि सत् का विनाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति नहीं होती। अतएव इतने में ही जीवकाय, अस्तिकाय या सर्वलोक आ जाता है। कोई किसी को मारे तब भी कोइ दोष होता नहीं। क्योंकि उकत तत्त्व तो शाश्वत हैं। इस मत को भी मिथ्या कहा अतएव फलित यह हुआ कि जैनमतानुसार ये तत्त्व ऐसे नहीं जिसमें कोई परिवर्तन न हो। पृथ्वी आदि सभी में परिवर्तन की गुंजाईश है और इनी कारण से हिंसा आदि दोषों की संभावता भी है। इन्हीं तत्वों में लोक को सीमित करना भी जैन मतको मान्य नही—यह भी इससे फल्टित होता है।

इस पंचभूतवादिओं ने अपने तत्वों को अस्तिकाय (सु०६५७) कहा है—संभव है यहीं से जैनों ने अपने तत्व के लिए अस्तिकाय शब्द अपनाया हो । क्योंकि इस मत-वालो ने इन्हीं को लोक भी कहा है और आगे चलकर जैनों ने भी लोक की व्यवस्था पंचा-स्तिकाय से ही की है। (भगवई १३.४.२३) अथवा यह भी संभव है कि जैनों की अपनी मान्यता को समश्च रख कर भी यह तुलना को गई हो। इस दृष्टि से अस्तिकाय शब्द का प्रयोग प्रथम जैनों द्वारा हुआ यह मानना पड़ेगा। इस मतके जो अन्यत्र वर्णन आते हैं उसमें अस्तिकाय शब्द का प्रयोग दिखाई नहीं देता अतएव अधिक संभव है कि यहाँ अपने मतको समक्ष में रखकर ही दूसरे मत का विवरण दिया है।

तीसरे मत में केवल ईश्वरकारणिक की चर्चा है (६५९)। प्रथम श्रुतस्कंघ में जो ईश्वर के अलावा अन्य कारणों की चर्चा की गई है उस का निर्देश नहीं है यह सिद्ध करता है कि अनेक कारणों में से केवल ईश्वरकारणवाद ही विशेष प्रतिष्ठित हुआ तब की यह रचता हो। इस मत को भी मिथ्या बताया है-ताल्पर्य यही हैं कि जगत्सुष्टि का कारण ईश्वर

१. इसके लिए उदाहरण के तीर पर आवारांग प्रथम श्रुतगत षड्जीवनिकाय का वर्णन और सृत्रकृतांगगत उसके वर्णन की तुलना की जाय तो उत्तरोत्तर विकास कैसा होता गया यह ज्ञान हो जायगा-सूत्रकृतांग द्वितीयश्रुतस्कन्ध का अध्ययन-३।

नहीं है। संसार तो अनादि और अनन्त है (अणाइयं च णं अणवयणं दीहमद्धं चाउरंत-संसारकंतारं (सू०७१९)।

चौथा मत नियतिवाद निर्दिष्ट है (६६३-६६५)। उसका भी निराकरण किया गया है। अर्थात् ही नियति के स्थान में पुरुषार्थ और कर्म को महत्त्व दिया गया है। स्पष्टीकरण किया गया है संसार में स्वकृत कर्म स्वको ही भुगतना पढ़ता है। प्रत्येक जीव अपने कर्म का कर्ता और भोक्ता है। प्रत्येक जीव में अपना मरण, चयन, उपपाद, झंझा, संज्ञा, मनन, विज्ञान और वेदना होते हैं। अन्य कोई सम्बन्धी जन इसमें त्राण या शरण नहीं है। अत्यक्ष जीव को चाहिए कि वह कामभोग को अपना न माने और अपने सम्बन्धी जनको भी अपना न माने।

आचारांग में षड्डीवनिकाय का मुख्य रूपसे वर्णन है किन्तु सृत्रकृतांग के द्वितीय श्रुत-स्कन्ध में जीवविचारने प्रगति की है यह स्पष्ट है। जीव के कई उत्तर मेद आचारांग में नहीं मिलते उनका विवरण योनिमेद को लेकर विस्तार से किया गया है।

जीवों की उत्पत्ति किस २ योनि में होती है। तथा एक भव से दूसरे भव में जब जीव जाता है तब वहाँ अपने जन्म स्थान में किस प्रकार आहार ग्रहण करता है और अपने नये औदारिक शरोर का निर्माण करता है – इसको जिस्तृत वर्णन द्वितीय श्रुततस्कन्ध के 'आहार परिज्ञा' नामक तीसरे अध्ययन में है। किन्तु उसमें नारक और देव के उपपाद का या आहार का वर्णन नहीं है यह भी ध्यानमें लेना चाहिए। यह विचार बादमें होने लगा यह स्वष्ट होता है। एक और भी ध्यान देने की बात हैं कि जीवों के एक प्रकार को 'अनुस्यूत' कहा है। और दि—त्रि—चतुन्द्रिय जीव कौन हैं— यह अभी निश्चित नहीं हो पाया था।

सूत्रकृतांग से यह भी स्वष्ट होता है कि भगवान् के अलावा भिक्षुओं ने भी धर्मोपदेश देना गुरू किया था । यही कारण है कि हम अंग में भी जो कुछ लिखा गया है वह सब भगवान् द्वारा उपदिष्ट है-यह नहीं मान सकते ।

स्त्रकृतांगमें पापश्रुतअध्ययनों अथवा तो आसुरिविद्याओं को जो सूची दी गई है उससे भी पता चडेगा कि यह रचना भगवान् महावीरकाळीन नहीं है-(७०८)।

प्राचीनतम माने जाने वाले आगमों से जैन दर्शन का जो रूप हमारे समक्ष आता हैं उनका संक्षेगमें यहां निर्देश मैं ने किया है। इसके बाद के भगवतो जैसे मन्थों में हमें दार्शनिक विचारों की प्रगति के साथ साथ जो पुराना मत भी उपलब्ध होता है यही इसका प्रमाण है कि दार्शनिक मन्तव्यों में आगमों में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। और यह सिद्ध होता कि ये दोनों प्रन्थ सबसे प्राचीन हैं। और उन्हीं में जैनदर्शन की भूमिका रखी गई है जिसका विकास आगों के आगमों में और उसके बाद के दार्शनिक प्रन्थों में हुआ है।

उन विकास की रूपरेखा भी यहाँ दे देना उपयुक्त होगा । जीवविद्या ही जैनों की अपनी विद्या है अतएव आगमों में जीवविचार विशेष रूप में हुआ । जीव के ज्ञान, दर्शन

१. कलह, क्लेश, क्रोध आदि कई अर्थ इसके हैं।

२. सू॰ ६९० में स्पष्ट कहा है कि भिक्षु अपनी अन्नादि की आवश्यकता की पूर्तिके लिए धर्मका कथन न करे। और भी 'चोयए पन्नवगं एवं वयासी' 'आचार्य आह' ऐसे प्रयोग भी इसका समर्थन करते हैं-सू॰७४८, ७४९।

और चारित्रका विचार मुख्य है किन्तु साथ ही जीव के मेद्, उनकी इन्द्रियाँ और मन तथा शरीर, उनकी आयु, उनकी लेश्या, उनके कथाय, रहने के स्थान, एक जन्म से दूसरे जन्म में होने वाली गित और आगति, जीव के कर्मबन्धके कारण कर्म से छूटने के उपाय, नाना प्रकार की तरस्याएँ सिद्ध जीव की गित और स्थिति तथा स्वरूप, कर्म की स्थिति, कर्म के प्रदेश, कर्म का विपाक न्इन बातोंका विस्तार से विचार हुआ | जीव के साथ जो कर्म का बन्धन होता है वे अजीव पुद्रल के परमाणु होते हैं | अतएव पुद्गल का विस्तार से विवेचन भी हुआ | जीव और पुद्रल की गित मानी गई थी अतएव धर्मास्तिकाय की और उसकी स्थितिके लिए अधर्मास्तिकाय की कर्म कि गई | लोक-अलोक का प्रा मीगोलिक निरूपण हुआ | जीवकी अवनति और उन्तिकी प्रक्रिया का विचार हुआ | इसी संदर्भ में गुणस्थान की चर्च की गई और उसी सन्दर्भ में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव जैसे महापुरुषों की विचारणा हुई | यह सब विवरण आगमों में देखा जा सकता है |

जीव और पुद्रल के विवरण प्रसंग में ब्युच्छित्तिनय और अब्युच्छित्तिनय, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनय, नैगमादि नय, निश्वय और ब्यवहारनय इन सब नयों की कहाना की गई। अभिप्रेत अर्थ के निर्णय के लिए निक्षेप और अनुयोगद्वारों की कल्पना को गई। इस प्रकार के प्रमेयों को ब्यवस्था के लिए पांच ज्ञान और प्रत्यक्ष-परीक्ष ज्ञानों की ब्यवस्था सोची गई। यह सब भगवती, प्रज्ञापना, जीवाजीवाभिगम, स्थानांग-समवायादि आगमों में दार्शिनिक विकास की प्रक्रिया है। किन्तु इन सब में मुख्यरूप से मेद-प्रमेदों की गणना और निर्देश है। दलील या तर्क को अवकाश बहुत कम मिला है। तार्किक प्रक्रिया का उद्भव और विकास तो दर्शनकाल के प्रन्थां में हुआ है। अतएव यहाँ उसका भी संक्षेप में निर्देश करना जरूरी हैं।

आगमों में जो कुछ विकास हुआ वह अधिकांश आंतरिक यानी जैनधर्म की अपनी जीबा-जीवकी मान्यता को लेकर हुआ और दार्शनिक प्रन्थों में जो विचार और विश्लेषण हुआ वह बाह्य अर्थात जैनतर दर्शनों के संदर्भ में हुआ । सबसे प्रथम नयों के विषय में जो विचार-विकास हुआ वह मल्डवादी के नयवक्रमें देखा जा सकता है। उसमें तत्कालीन सभी दर्जानों की मान्यताओं को ही नय के रूप में माना गया है और इस प्रकार तथाकथित मिथ्यादर्शनों के समृह के। जैनदर्शन कहा गया। मिथ्यादर्शनों का समृह ही सम्यग्दर्शन-जैन दर्शन कैसे होगा-इस प्रश्नके उत्तरमें कहा गया कि प्रत्येक नय अपने को हो सच मानकर चलत है और अन्य को मिथ्या। जब कि स्थिति यह है कि प्रत्येक नय आंशिक सत्य है अत-एव अपने कदाशह के कारण ही वे मिथ्या कहे जा सकते हैं। जैनदर्शन उन नयों के कदाग्रह का निरास करके सभी को सरप मानकर चलता है अतएव मिथ्या का समूह होकर भी सम्यक बन जाना है । मल्डवादी को इस नय विचारणा की प्रेरणा मिळी थी सिद्धसेन के सन्म-तिसे जहाँ संक्षेप में नय का स्वरूप अन्य भारतीय दर्शनों के संदर्भ में सोचा गया था। इसी नय की विचारणा के आधार से अनेकान्तवाद की स्थापना देखी जा सकती है और उस स्थापना के लिए समन्तभद्रकी आसभीमांसा मार्गदर्शक ग्रन्थ बन गया है। प्रश्न यह था कि हम आप किसे माने ? समन्तभद्र ने उत्तर दिया कि आप तो जैन तीर्थंकर ही हो सकते 🕏 क्यों कि उनके कथन में पूर्वीपर विरोध नहीं 🕇 । जब कि अन्य दर्शिनकों में वह विरोध

देखा जा सकता है। उन्होंने एक एक दर्शन के। लेकर वह विरोध किस प्रकार है—इसे दिखा कर विरोध का निरास केवल अनेकान्तवाद मानने पर हो हो सकता है—इस बात की पृष्टि की। इस प्रकार अनेकान्तवाद को भारतीय—दर्शनक्षेत्र में एक समन्वय—दर्शन के रूप में उपस्थित किया। भारतीयदर्शनों में प्रमाणचर्चा चल रही थी। उसका भी अध्ययन करके आचार्य अकलंक ने जैनप्रमाणमीमांसाको प्रतिष्ठित किया। यद्यपि उनसे भी पूर्वकाल में सिद्धसेनने प्रमाण-चर्चा का प्रारंग किया था किन्तु वह मात्र प्रारंग ही था। समग्रभाव से भारतीय दर्शनों की प्रमाणचर्चा का आकलन करके जैनप्रमाणचर्चा की नये रूप में प्रतिष्ठा तो अकलंक की ही देन है। इन आचार्यों के बाद भी हरिमद्र विद्यानन्द, माणिक्यनंदी, प्रभावन्द्र, वादीदेव, आदि ने जैनप्रमाण-प्रमेय—अनेकान्तवादके विषयमें अपने अपने समय में उठे हुए नये नये प्रकृतों का समाधान करके जैन तत्विद्याको आगे बहाया और प्रस्थापित किया।

अन्त में उपाध्याय यशोविजय ने हो नठयन्यायका आश्रय छेकर जैनदर्शनकी उस क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा को । इस प्रकार जैनदर्शन को अद्यान बनाने का श्रेय उपा॰ यशोविजय का दिया जा सकता है ।

मैंने बाद के आगमों में प्रमाण-प्रमेय - अनेकान्तवाद का क्या रूप है, उसका विस्तार से मेरे 'आगम्युगका जैनदर्शन' प्रनथ में निवेचन किया ही है और दर्शनकालके प्रन्थों में जो जैन दर्शन हमारे सामने आता है उसका विस्तृत विवेचन पं. महेन्द्रकुमार के प्रनथ 'जैनदर्शन' से मली-भांते जाना जा सकता है अउएव मैं इस व्याख्यान में उसका विवरण देना नहीं चाहता। किन्तु समय और अवसर मिला तो जैनदर्शन के क्रमिक विकास का इतिहास लिखने की भावना है। पता नहीं बह कब पूरी होगी।

१ डॉ. ए. एन्. उपाध्ये की स्मृति में ता॰ ८.१०.७७ को शिवाजो विश्वविद्यालय में दिया गया द्वितीय व्याख्यान । इसके मुद्रण में देरी होने के कारण यत्र तत्र बुद्धिका अवसर व्याख्याताने लिया है।

